भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

प्रधान कार्यालय: सिडबी टावर, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

विज्ञापन संख्या 8 / ग्रेड 'ए' और 'बी' / 2026-27

ग्रेड 'ए' और ग्रेड 'बी' अधिकारियों की भर्ती-

सामान्य और विशेषज्ञ संवर्ग: 2026

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में **ग्रेड 'ए' और ग्रेड 'बी' (सामान्य और विशेषज्ञ संवर्ग)** में अधिकारियों के पद के लिए पात्र प्रत्याशियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदन करने से पहले, प्रत्याशियों को सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उक्त पद के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। सिडबी प्रत्याशियों को ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी और लागू अपेक्षित शुल्क के आधार पर प्रवेश देगा और साक्षात्कार/कार्यग्रहण के चरण में उनकी पात्रता की जाँच करेगा। यदि किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी मिथ्या /गलत है या बैंक के अनुसार, प्रत्याशी पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो, उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे साक्षात्कार में शामिल होने / कार्यग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रत्याशियों से अनुरोध है कि इस विज्ञापन में निर्दिष्ट सभी निर्देशों और दिए गए सामान्य निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत, केवल www.sidbi.in के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करें। **कोई अन्य माध्यम /आवेदन/प्रिंटआउट स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**

सहायता सुविधा: फॉर्म भरने, शुल्क/सूचना शुल्क के भुगतान या बुलावा पत्र डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में, आप http://cgrs.ibps.in/ पर "प्रत्याशी परिवेदना पंजीकरण एवं निवारण तंत्र" पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ईमेल के विषय में **"सिडबी अधिकारी - ग्रेड 'ए' और 'बी' - (सामान्य एवं विशेषज्ञ संवर्ग)"** लिखना न भूलें ।

महत्वपूर्ण तिथियां / समयसीमा	
ऑनलाइन पंजीकरण गेटवे का खोला जाना / शुल्क का भुगतान	21 नवंबर, 2026
ऑनलाइन पंजीकरण गेटवे का बंद होना / शुल्क का भुगतान	11 दिसंबर, 2026
आयु के संबंध में पात्रता मानदंड निर्धारित करने की अंतिम तिथि	21 नवंबर, 2026
शैक्षिक योग्यता / योग्यता-पश्चात् के अनुभव के संबंध में पात्रता मानदंड निर्धारित करने की अंतिम तिथि	11 दिसंबर, 2026

ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि (चरण I एवं II)	**27 दिसंबर, 2026**
साक्षात्कार की संभावित तिथि (चरण III)	**फरवरी 2027**
@ सिडबी के पास उक्त परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित है।	

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए समर्पित प्रमुख वित्तीय संस्था है, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल, 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत की गई।

सिडबी एमएसएमई क्षेत्र में सतत विकास, आर्थिक संवृद्धि, समान धन वितरण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्यरत रहा है।
अगले पांच वर्षों में अपने प्रभाव को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ, सिडबी का ध्येय "एमएसएमई जीवन चक्र के सभी चरणों के लिए प्रथम संपर्क बिंदु" बनना है, जिससे एमएसएमई भारतीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में निर्बाध रूप से एकीकृत हो सकें।

बैंक का मिशन एमएसएमई की पूंजी तक पहुंच और क्षमता निर्माण को सुगम बनाना है, ताकि वे भारतीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में बेहतर रूप से एकीकृत हो सकें। बैंक 'एमएसएमई जीवन चक्र यात्रा के सभी चरणों के लिए प्रथम संपर्क बिंदु के रूप में उभरने' के दृष्टिकोण के साथ कार्यरत है। यह उन चुनिंदा संगठनों में से एक है जिन्होंने 'ग्रेट प्लेस टू वर्क'® प्रमाणन अर्जित किया है।
बैंक का दृढ़ विश्वास है कि उसका मानव संसाधन उसकी सबसे मूल्यवान आस्ति है। सिडबी एक समान अवसर नियोक्ता है और यह आयु, रंग, दिव्यांगता, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान रोजगार के अवसर प्रदान करता है। तदनुसार, बैंक को सिडबी की विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए गतिशील और महत्वाकांक्षी युवाओं की तलाश है और वह निम्नलिखित पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है:

1. **रिक्तियों की संख्या और आरक्षण का विवरण**

पद का नाम/ वेतनमान ₹ में), न्यूनतम सकल परिलब्धियां (₹ प्रति माह)	**सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' - सामान्य और विशेषज्ञ संवर्ग [₹62500 - 3600(4) - 76900 - 4050(7) – 105250 - ईबी - 4050(4) – 121450 - 4650(1) - 126100 (17 वर्ष)] ₹1,20,000/ - लगभग.**									
संवर्ग	**कुल रिक्तियों की संख्या**	**रिक्तियां आरक्षित**				**अनारक्षित**	**जिसमें से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित**			
		अनुसूचित जाति	**अनुसूचित जन जाति**	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	**ईडब्ल्यूएस**		**वीआई**	**एचआई @**	**ओसी**	**एमडी / आईडी @**
सामान्य	**53**	**7**	**5**	**10**	**5**	**26**	**0**	**2***	**0**	**3#**
हिन्दी	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**

विधि	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0
सूचना प्रणाली / सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) [कौशल सेट- एआई/एमएल ऑटोमेशन / फुल स्टैक एप्लिकेशन डेवलपमेंट / सुरक्षा / इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क]	5	1	0	1	0	3	0	0	1	0
कुल	**63**	**9**	**5**	**12**	**5**	**32**	**0**	**2***	**1**	**3#**

पद का नाम/वेतनमान (₹ में), न्यूनतम सकल परिलब्धियां (₹ प्रति माह)	**प्रबंधक ग्रेड 'बी' - विशेषज्ञ संवर्ग [₹78450-4050(9)-114900-EB-4050(2)-123000-4650(4)-141600 (16 years)] ₹1,45,000/- लगभग.**

संवर्ग	कुल रिक्तियों की संख्या	रिक्तियां आरक्षित				अनारक्षित	जिसमें से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	ईडब्ल्यूएस		वीआई @	एचआई	ओसी@	एमडी / आईडी
हिंदी	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**
विधि	**3**	**1***	**0**	**0**	**0**	**2**	**1***	**-**	**-**	**-**
सूचना प्रणाली / सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) **[कौशल सेट- एआई/एमएल ऑटोमेशन / फुल स्टैक एप्लिकेशन डेवलपमेंट / सुरक्षा / इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क]**	**1**	**1***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**1***	**-**
कुल	**5**	**2**	**0**	**0**	**0**	**3**	**1***	**-**	**1***	**-**

** इसमें 1 बैकलॉग रिक्ति शामिल है*

 # इसमें 2 बैकलॉग रिक्तियां शामिल है

@ यदि उपयुक्त प्रत्याशी नहीं मिलते हैं तो उपयुक्त पाए जाने पर रिक्ति को अन्य पीडब्ल्यूबीडी उप-श्रेणी के प्रत्याशी द्वारा भरा जाएगा।

- **पीडब्ल्यूबीडी -** "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" में परिभाषित बेंचमार्क *दिव्यांगता* वाले व्यक्ति (*ए*) वीआई - दृष्टि बाधित; ;(*बी*) एचआई - श्रवण बाधित; (*सी*) ओसी - अस्थि *दिव्यांगता*; (*डी*) एमडी - बहु *दिव्यांगता*; (*ई*) आईडी - बौद्धिक *दिव्यांगता* ।

(i) एक प्रत्याशी केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है और किसी भी प्रत्याशी द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाएँगे । एक से अधिक आवेदनों की स्थिति में, केवल नवीनतम वैध (पूर्ण) आवेदन ही मान्य होगा तथा अन्य एकाधिक पंजीकरणों के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

(ii) उपर्युक्त पद का पदनाम/नाम केवल सांकेतिक है। सिडबी को बिना किसी सूचना के किसी भी समय पद का पदनाम/नाम बदलने का अधिकार होगा।

(iii) सिडबी को प्रत्याशियों की प्रतीक्षा सूची बनाने और वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसे प्रतीक्षा सूची वाले प्रत्याशी (ओं) पर विचार करने का अधिकार होगा। प्रस्ताव/नियुक्ति पत्र सिडबी की आवश्यकता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से जारी किए जा सकते हैं ।

(iv) रिक्तियों की कुल संख्या, जिसमें गैर-आरक्षित (यूआर) और ऊपर उल्लिखित आरक्षित रिक्तियां शामिल हैं, अनंतिम हैं और सिडबी की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। अनु जाति/अनु जनजाति/ आ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के लिए रिक्तियों में संबंधित श्रेणियों में बैकलॉग और कमी, यदि कोई हो, शामिल है। ऊपर दर्शाई गई आरक्षित रिक्तियों की सटीक संख्या जारी किए गए प्रस्ताव/नियुक्ति पत्रों की वास्तविक संख्या/शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकती है।

(v) 'ऑनलाइन' पंजीकरण गेटवे बंद होने की तिथि पर **'क्रीमी लेयर'** के अंतर्गत आने वाले ओबीसी आवेदकों को अनारक्षित माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी के तहत आवेदन करना चाहिए।

(vi) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांगता की परिभाषा और दिव्यांगता की डिग्री समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट देख सकते हैं।

(vii) यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा हो सकता है कि सिडबी के सभी कार्यालयों/विभागों में विकलांग अभ्यर्थियों को नियोजित करना संभव न हो और इस संबंध में उन्हें सिडबी के निर्णय के अनुसार पदों/केंद्रों में काम करना होगा।

(viii) यदि किसी निर्दिष्ट श्रेणी के उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं हैं, तो सिडबी एमडी/आईडी अभ्यर्थियों के बीच आरक्षण के परस्पर आदान-प्रदान की अनुमति दे सकता है।

(ix) उपर्युक्त पद सिडबी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी खुला है। सिडबी उन्हें अधिकतम आयु सीमा, आवेदन शुल्क आदि में उचित छूट/रियायतें, जो भी सिडबी उचित समझे, देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2. सेवा शर्तें/कैरियर संभावनाएं आदि.

(i) वर्तमान में, सकल परिलब्धियों में महंगाई भत्ता, ग्रेड भत्ता, विशेष भत्ता, स्थानीय प्रतिपूरक भत्ता आदि शामिल हैं। इसके अलावा, पद के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को 'परिभाषित अंशदायी नई पेंशन योजना (एनपीएस)' या समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित योजना द्वारा शासित होंगे।

(ii) ऊपर दिए गए वेतनमान के अनुसार परिलब्धियों के अलावा, ऊपर बताए गए पदों के लिए ग्रेच्युटी, अवकाश किराया रियायत दो साल में एक बार (स्वयं, पति/पत्नी और पात्र आश्रितों के लिए), चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, वाहन रखरखाव व्यय / भत्ता, लाउंज जैसी अन्य सुविधाएं, सिडबी के नियमों के अनुसार टेलीफोन व्यय, समाचार पत्र, पुस्तक अनुदान, शिक्षा व्यय, निवास की साज-सज्जा के लिए भत्ता, एक महीने की सकल परिलब्धियों तक ब्याज मुक्त त्योहार अग्रिम, सिडबी के आवास या उसके बदले में पट्टे पर फ्लैट सुविधा, कार, आवास के लिए रियायती दरों पर ऋण और अग्रिम यात्रा, व्यक्तिगत कंप्यूटर/टैबलेट आदि की सुविधा मिलेगी । नियुक्ति के स्थान के आधार पर राशि भिन्न हो सकती है। नियुक्ति के स्थान के आधार पर, ग्रेड 'ए' के अधिकारियों का सीटीसी ₹

30 लाख से ₹ 34 लाख और ग्रेड 'बी' के अधिकारियों का सीटीसी ₹ 40 लाख से ₹ 43 लाख तक होता है।

(iii) सिडबी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों ने जेएआईआईबी/सीएआईआईबी (सिडबी में शामिल होने से पहले) योग्यता प्राप्त की है, वे वेतनमान में एक/दो अग्रिम वेतन वृद्धि देने के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे, बशर्ते कि वे इस संबंध में सिडबी की संतुष्टि के अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें।

(iv) सिडबी, अपने विवेकानुसार, उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता या सिडबी के लिए विशेष महत्व का अनुभव रखने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को, प्रस्तावित पद के वेतनमान में अधिकतम 4 अग्रिम वेतन वृद्धियाँ देने पर विचार कर सकता है (जेएआईआईबी / सीएआईआईबी वेतन वृद्धि सहित)। यद्यपि, ऐसे अनुरोधों की जांच सिडबी द्वारा प्रत्येक मामले में अलग-अलग आधार पर तभी की जाएगी जब अभ्यर्थी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेगा और सिडबी द्वारा अपेक्षित आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसी अग्रिम वेतन वृद्धि देने या अन्यथा देने के लिए सिडबी का निर्णय, साथ ही ऐसी अग्रिम वेतन वृद्धि देने की तारीख, प्रत्याशी के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगी और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(v) **परिवीक्षा और तैनाती / स्थानांतरण -** चयनित अभ्यर्थी 2 साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे। इस अवधि को सिडबी के विवेक पर अधिकतम 4 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों को समय-समय पर सिडबी के विवेक पर और सिडबी द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों के अनुसार, सिडबी के विभिन्न कार्यालयों/ उद्धागों/ सहयोगी / सहायक कंपनियों में तैनात/ स्थानांतरित किया जाएगा ।

(vi) कौशल उन्नयन: - करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने और संगठन में उज्ज्वल भविष्य सुरक्षित करने के लिए नियमित रूप से कौशल उन्नयन करना और उद्योग के रुझानों के साथ बने रहना आवश्यक है।

(vii) ग्रेड 'डी' और उच्चतर ग्रेड के सभी अधिकारियों की कैरियर प्रगति एकल सामान्य संवर्ग में होगी या बैंक द्वारा समय-समय पर तय की जाएगी।

3. पात्रता मानदंड

3.1. राष्ट्रीयता / नागरिकता

अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से

(i) भारत का नागरिक होना चाहिए या

(ii) नेपाल का नागरिक होना चाहिए या

(iii) भूटान का नागरिक होना चाहिए या

(iv) तिब्बत का ऐसा शरणार्थी होना चाहिए ,जो (1 जनवरी ,1962 के पहले) भारत में स्थायी रुप से निवास करने के इरादे से भारत आया हो या

(v) भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, युगांडा, संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व में तांगानिका और ज़ांज़ीबार), जाम्बिया, मालवी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से आप्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो।

परंतु उपर्युक्त श्रेणियों (ii), (iii), (iv) या (v) से संबंधित अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे सिडबी द्वारा आयोजित समूह-चर्चा साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन अंतिम चयन होने पर, नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जाएगा, जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया हो ।

3.2 21 नवंबर, 2026 को आयु सीमा (3.3 के साथ पढ़ा जाए)

न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा
(क) ग्रेड 'ए' में अधिकारियों के लिए: **21 वर्ष से कम** और **30 वर्ष से अधिक नहीं.** (केवल वे ही उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं, जिनका जन्म 21 नवंबर, 1996 से पहले और 21 नवंबर, 2005 के बाद नहीं हुआ है [दोनों दिन सहित]) **(ख) ग्रेड 'बी' में अधिकारियों के लिए:** **25 वर्ष से कम और 33 वर्ष से अधिक नहीं.** (केवल वे ही उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं, जिनका जन्म 21 नवंबर, 1993 से पहले और 21 नवंबर, 2001 के बाद नहीं हुआ है [दोनों दिन सहित])

3.3 ऊपरी आयु सीमा में छूट निम्नानुसार उपलब्ध होगी : -

क्र	श्रेणी	आयु में छूट
1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)	3 वर्ष
3	पीडब्ल्यूबीडी [अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस] "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" के तहत परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति।	10 वर्ष
	दिव्यांगजन [ओबीसी प्रत्याशी] [ओबीसी छूट के साथ संचयी]	13 वर्ष
	दिव्यांगजन [एससी/एसटी प्रत्याशी] [एससी/एसटी छूट के साथ संचयी]	15 वर्ष
4	भूतपूर्व सैनिक प्रत्याशी (भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनः रोजगार) संशोधन नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार) भूतपूर्व सैनिक, आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी (ईसीओ)/अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी (एसएससीओ) सहित कमीशन प्राप्त अधिकारी जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सैन्य सेवा की है और जिन्हें कार्यभार पूरा होने पर कार्यमुक्त किया गया है (जिनमें वे भी शामिल हैं जिनका कार्यभार आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर पूरा होना है) सैन्य सेवा या अशक्तता के कारण कदाचार या अकुशलता या शारीरिक दिव्यांगताके कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के अलावा अन्य किसी कारण से कार्यमुक्त नहीं किया गया है ।	5 वर्ष
5	1984 के दंगों से प्रभावित व्यक्ति	5 वर्ष

टिप्पणी : (i) निर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के अभ्यर्थियों पर लागू होती है।

(ii) आयु में छूट के इच्छुक **प्रत्याशियों** को साक्षात्कार के समय और सिडबी द्वारा अपेक्षित भर्ती प्रक्रिया के किसी भी बाद के चरण में आवश्यक प्रमाणपत्र मूल रूप में/फोटोकॉपी सहित जमा करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग श्रेणी के **प्रत्याशियों** के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्ररूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति/श्रेणी प्रमाणपत्र जारी किया

जाएगा।

ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में, प्रमाण पत्र में विशेष रूप से एक खंड होना चाहिए कि अभ्यर्थी भारत सरकार के तहत सिविल पद और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लाभों से बाहर किए गए क्रीमी लेयर अनुभाग से संबंधित नहीं है। ओबीसी वर्ग से संबंधित लेकिन क्रीमी लेयर के तहत आने वाले अभ्यर्थी ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में सामान्य के रूप में अपनी श्रेणी को इंगित करना चाहिए। अभ्यर्थी के पास समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-क्रीमी लेयर खंड के साथ एक वैध ओबीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए।

(iii) यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी भी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी बाद के रोजगार के लिए पूर्व-सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है। तथापि, इस लाभ का लाभ उठाने के लिए, एक भूतपूर्व सैनिक जैसे ही किसी सिविल रोजगार में शामिल हो जाता है, संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन के दिनांक-वार ब्यौरे के बारे में स्व-घोषणा/वचन पत्र देना चाहिए, जिनके लिए उसने प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती पर भरी जाती हैं और जहां भी पूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू होता है। अधिकारियों के संवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(iv) सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, आयु में छूट संचयी आधार पर उपलब्ध नहीं होगी सिवाय इसके कि जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में दिया गया है, और यह विभागीय / स्टाफ अभ्यर्थी के लिए 5 वर्ष तक होगी, जैसा कि बिंदु 3.4 के अंतर्गत टिप्पणी क्र (iii) में निर्दिष्ट है।

3.4 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं :

पदों का नाम	**संवर्ग**	**आयु (वर्ष)** **अधिकतम**	**शैक्षणिक योग्यता**	**अर्हता पश्चात न्यूनतम कार्य अनुभव**
सहायक प्रबंधक ग्रेड ए'	**सामान्य**	30	अनिवार्य : **(i)** वाणिज्य/अर्थशास्त्र/गणित/ सांख्यिकी/व्यवसाय प्रशासन/इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक (एससी/एसटी/ पीडब्ल्यूबीडी आवेदकों के लिए 50% यदि रिक्तियां इनके लिए आरक्षित हों) अथवा **(ii)** कंपनी सचिव (सीएस) / इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ	अनिवार्य : क. अधिकारी [स्थायी / पूर्णकालिक प्रत्यक्ष अनुबंध / तृतीय-पक्ष पेरोल पर] के रूप में कम से कम दो वर्षों का अर्हता पश्चात कार्य अनुभव निम्नलिखित में से एक या अधिक क्षेत्रों/कार्यों में: (i) ऋणों का उधार/अग्रिम, जिसमें ऋण मूल्यांकन और/या ऋण वितरण शामिल है;

			इंडिया (आईसीएमएआई) से लागत एवं प्रबंधन लेखाकार (सीएमए) / चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक (सीएफए) अथवा **(iii)** चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) अथवा **(iv)** एमबीए/पीजीडीएम [किसी भी विषय में (पाठ्यक्रम *पूर्ण कालिक 2 वर्ष का होना चाहिए*)] / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से / सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित। **टिप्पणी:** स्नातक स्तर पर, ऐसे प्रत्याशी ही परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय / संस्थान से ऐसा कोई भी पाठ्यक्रम लिया हो, जो कक्षा 12 के बाद किया जाता है तथा जिसकी न्यूनतम अवधि 3 वर्ष की हो, बशर्ते कि उक्त निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त किए गए हों। स्नातकोत्तर स्तर/मास्टर डिग्री पर, ऐसे प्रत्याशी ही परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से ऐसा कोई पाठ्यक्रम लिया हो, जो स्नातक के बाद किया जाता है और जिसकी न्यूनतम अवधि 2 वर्ष की अवधि की हो।	(ii) जोखिम प्रबंधन; (iii) ट्रेजरी और/या संसाधन प्रबंधन; (iv) ऑडिट और/या अनुपालन; और/या (v) वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी और/या ऋण वित्तपोषण/निवेश। (नोट: विशेष रूप से व्यक्तिगत ऋण, शैक्षिक ऋण, वाहन ऋण, आवास ऋण आदि से संबंधित अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसी भी संगठन/संस्थान में एमएसएमई/कॉर्पोरेट ऋण, कार्यशील पूंजी वित्त, प्राप्य वित्तपोषण, डिजिटल ऋण, विकास वित्त, जोखिम प्रबंधन, ट्रेजरी /संसाधन प्रबंधन, लेखा परीक्षा/अनुपालन, और उद्यम पूंजी/निजी इक्विटी/ऋण वित्तपोषण या निवेश में प्रासंगिक अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी: (क) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) और सिडबी। अथवा (ख)आरबीआई अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल अनुसूचित वाणिज्य बैंक या

			टिप्पणी: अंतिम वर्ष में (एमबीए/पीजीडीएम हेतु) शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते उन्हें कार्यग्रहण के समय (यदि चयनित हों) अंतिम मार्कशीट और अनंतिम/अंतिम स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। **वांछनीय अतिरिक्त योग्यताएं: -** (सीए / एमबीए/पीजीडीएम अभ्यर्थियों हेतु)- निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के अतिरिक्त, ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जा सकती है, जो सीएमए, सीएस, सीएफए, एफआरएम, एसीसीए, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, या अन्य डोमेन-प्रासंगिक प्रमाणपत्र जैसे मान्यता प्राप्त पेशेवर प्रमाणपत्र / योग्यताएं रखते हों। इसे वांछनीय योग्यता के रूप में माना जाएगा और इससे चयन हेतु कोई स्वत: अधिकार नहीं प्राप्त होता है, जो कि निर्धारित चयन प्रक्रिया में प्रत्याशी की समग्र योग्यता और प्रदर्शन पर आधारित होगा।	(ग) आरबीआई के साथ पंजीकृत/ विनियमित एनबीएफसी, फिनटेक कंपनियों/ माइक्रोफाइनेंस संस्थान टिप्पणी 1: - जिन अभ्यर्थियों को, दो वर्ष का संयुक्त अनुभव (उपर्युक्त क्रम संख्या क (क), (ख) और (ग) के अनुसार) प्राप्त है , वे आवेदन करने के पात्र होंगे। या ख. प्रत्याशियों के पास निम्नलिखित क्षेत्रों में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव (मुख्य कार्य का) होना चाहिए : - i. सेबी के साथ पंजीकृत निवेश बैंकिंग / मर्चेंट बैंकिंग में काम करने वाली संस्थाएं या ii. सेबी के साथ पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में काम करने वाली संस्थाएं या iii. आरबीआई के साथ पंजीकृत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) या iv. एमएसएमई क्षेत्र में कार्यरत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की अनुषंगी या

				v. सरकार या सरकारी संस्थानों के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के प्रशासन, कार्यान्वयन और/या प्रबंधन में अनुभव, साथ ही रणनीति और प्रबंधन परामर्श फर्मों और/या लेखा एवं सलाहकार फर्मों के साथ काम करते हुए, जिनके पास परामर्श और/या परियोजना प्रबंधन में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो। उम्मीदवार को सरकारी/सरकारी संस्थान परियोजनाओं, ऋण से संबंधित डिजिटल परियोजनाओं, और/या सरकारी या सरकारी संस्थानों के लिए परामर्श/सलाहकार कार्यों के कार्यान्वयन या प्रबंधन में विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। या vi. भारत में स्थापित/पंजीकृत, डीपीआईआईटी, भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाएं, और बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र में गतिविधियों में संलग्न हैं। डीपीआईआईटी मान्यता आवेदन की तिथि से मान्य होगी, और पात्रता प्रमाण के रूप में वैध स्टार्टअप मान्यता प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत की जाएगी। या (ग) लिपिक / श्रेणी III कर्मचारी के समकक्ष [स्थायी / पूर्णकालिक प्रत्यक्ष अनुबंध / तृतीय-पक्ष पेरोल पर] के रूप

				में कम से कम तीन वर्षों का अर्हता पश्चात कार्य अनुभव निम्नलिखित में से एक या अधिक क्षेत्रों/कार्यों में: (i) ऋणों का उधार/अग्रिम, जिसमें ऋण मूल्यांकन और/या ऋण वितरण शामिल है; (ii) जोखिम प्रबंधन; (iii) ट्रेजरी और/या संसाधन प्रबंधन; (iv) ऑडिट और/या अनुपालन; और/या (v) वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी और/या ऋण वित्तपोषण/निवेश। (नोट: विशेष रूप से व्यक्तिगत ऋण, शैक्षिक ऋण, वाहन ऋण, आवास ऋण आदि से संबंधित अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसी भी संगठन/संस्थान में एमएसएमई/कॉर्पोरेट ऋण, कार्यशील पूंजी वित्त, प्राप्य वित्तपोषण, डिजिटल ऋण, विकास वित्त, जोखिम प्रबंधन, ट्रेजरी /संसाधन प्रबंधन, लेखा परीक्षा/अनुपालन, और उद्यम पूंजी/निजी इक्विटी/ऋण वित्तपोषण या निवेश में प्रासंगिक अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी: (क) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) या (ख) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय

				आवास बैंक (एनएचबी), राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) और सिडबी। अथवा (ग)आरबीआई अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल अनुसूचित वाणिज्य बैंक या (घ) आरबीआई के साथ पंजीकृत/ विनियमित एनबीएफसी, फिनटेक कंपनी / माइक्रोफाइनेंस संस्थान **टिप्पणी 2:** - जिन अभ्यर्थियों को, तीन वर्ष का संयुक्त अनुभव (उपर्युक्त क्रम संख्या ग के (क), (ख) (ग) और (घ) के अनुसार) प्राप्त है, वे आवेदन करने के पात्र होंगे। **टिप्पणी 3.** **सीए या एमबीए / पीजीडीएम** (किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्ष का पूर्णकालिक कार्यक्रम) रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए, निर्धारित कार्य अनुभव की आवश्यकता **से छूट दी जाएगी।** हालांकि, उन्हें बैंक द्वारा निर्धारित अन्य सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होगी और उनका मूल्यांकन पेशेवर योग्यता, चयन प्रक्रिया में प्रदर्शन और भूमिका के लिए समग्र उपयुक्तता के आधार पर किया जाएगा। प्रासंगिक योग्यता और डोमेन अनुभव वाले प्रत्याशियों को वरीयता दी जा सकती है।

सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए'	**हिंदी**	30	**अनिवार्य** : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों या कुल अंकों में समकक्ष, के साथ स्नातक की डिग्री (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूबीडी प्रत्याशियों के लिए 55% के लिए, यदि रिक्तियां उनके लिए आरक्षित हैं), जिसमें अभ्यर्थी ने स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के कम से कम दो वर्षों के लिए अनिवार्य / वैकल्पिक विषयों के रूप में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का अध्ययन किया है; **और** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का स्नातकोत्तर डिप्लोमा। **अथवा** कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंकों के साथ **हिंदी** में मास्टर डिग्री। अभ्यर्थियों द्वारा स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के कम से कम 02 वर्षों में मुख्य / वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन किया होना चाहिए। **अथवा** कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंकों के साथ **अंग्रेजी** में मास्टर डिग्री। अभ्यर्थियों द्वारा स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के कम से कम 02 वर्षों में मुख्य / वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी का अध्ययन किया होना चाहिए। **टिप्पणी : -** अभ्यर्थियों को अंग्रेजी से हिंदी में और विलोमतः अनुवाद कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	**अनिवार्य** : निम्नलिखित में से किसी भी संगठन/संस्थान में कम से कम दो वर्षों का अर्हता पश्चात स्थायी कर्मचारी / पूर्णकालिक प्रत्यक्ष संविदात्मक कर्मचारी/तृतीय-पक्ष पेरोल पर कर्मचारी) शब्दावली/ तकनीकी शब्दावली तैयार करने/ रचने, और/या अंग्रेज़ी से हिंदी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, और/या आधिकारिक भाषा (राजभाषा) नीति के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य में कार्य अनुभव होना चाहिएः (क) केंद्र/राज्य सरकार के विभाग/कार्यालय, वैधानिक या स्वायत्त निकाय, सरकारी उपक्रम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थान या (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक; या (ग) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (नाबफीड) और सिडबी या (घ) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकृत/विनियमित एनबीएफसी /फिनटेक कंपनियाँ/ माइक्रोफाइनेंस संस्थान

				या (ड.) राष्ट्रीय या राज्य-स्तरीय साप्ताहिक प्रकाशन/समाचार पत्र; नोट: - जिन उम्मीदवारों का संयुक्त अनुभव क्रम सं. (क), (ख), (ग), (घ), और (ड.) ऊपर में दो वर्षों का है, वे आवेदन करने के पात्र हैं। **वांछनीय:** (i) हिन्दी और /या अंग्रेजी में प्रकाशित साहित्यक कार्य
सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए'	**विधि**	30	**अनिवार्य :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित किसी भी विश्वविद्यालय / संस्थान से विधि विषय में स्नातक की डिग्री। सभी सत्र /वर्षों के कुल योग में न्यूनतम 50% अंक या समकक्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूबीडी प्रत्याशियों के लिए 45%, यदि रिक्तियां आरक्षित हों) तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अधिवक्ता के रूप में नामांकित। **वांछनीय** : (क) विधि में स्नातकोत्तर डिग्री /कंपनी सचिव (सीएस) की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। (ख) कंप्यूटर अनुप्रयोगों में दक्षता।	**अनिवार्य** : विधि अधिकारी के रूप में कानून के क्षेत्र में कम से कम दो वर्षों का अर्हता पश्चात कार्य अनुभव [स्थायी / पूर्णकालिक प्रत्यक्ष अनुबंध / तृतीय-पक्ष पेरोल पर], साथ ही विधि, वसूली और/या वाणिज्यिक अनुबंध प्रबंधन कार्यों में अनुभव, जिसमें वाणिज्यिक अनुबंधों और समझौतों का मसौदा तैयार करना, जांच, मोलभाव वार्ता और प्रबंधन शामिल है, निम्नलिखित में से किसी भी संगठन/संस्थान में: (क) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे - भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) और सिडबी या (ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। या (ग) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई)

				या (घ) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकृत/विनियमित एनबीएफसी /फिनटेक कंपनियाँ/ माइक्रोफाइनेंस संस्थान (ड.) डीआरटी, डीआरएटी, एनसीएलटी / एनसीएलएटी **टिप्पणी:** - जिन अभ्यर्थियों के पास संयुक्त अनुभव (उपर्युक्त क्रम संख्या (क), (ख), (ग), (घ) और (ड.) के अनुसार) **दो वर्ष का** है, वे आवेदन करने के पात्र हैं। **वांछनीय:** बैंकिंग कानून, कंपनी कानून, श्रम कानून, संवैधानिक कानून, वसूली, दिवाला एवं दिवालियापन कानून, संपत्ति और राजस्व मामलों आदि का विशेष ज्ञान तथा दलीलों और दस्तावेजों के प्रारूपण का अनुभव।
सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए'	**सूचना प्रणाली / सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) (कौशल सेट- एआई/एमएल ऑटोमेशन / फुल स्टैक एप्लिकेशन डेवलपमेंट / सुरक्षा / इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क)**	30	**अनिवार्य :** इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री (बी.ई../बी टेक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से या संबंधित सरकारी नियामक निकाय द्वारा अनुमोदित किसी भी विषय में, कुल मिलाकर न्यूनतम 60% अंक (अजा / अजजा/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 55%, जहाँ भी रिक्ति उस श्रेणी के लिए आरक्षित हो)। (**नोट**: प्राथमिकता उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जिनके पास कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी, या संबद्ध विषयों में बी.ई./बी.टेक. डिग्री है)। या	**अनिवार्य :** इनमें से किसी संस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी में आईटी/सिस्टम्स अधिकारी [स्थायी / पूर्णकालिक प्रत्यक्ष अनुबंध पर/ तीसरे पक्ष के वेतन रोल पर] के रूप में कम से कम दो वर्षों का अर्हता पश्चात अनुभव: (क) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे - भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) और सिडबी या (ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल

			विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय / संस्थान से **एमसीए** कुल मिलाकर 60% अंकों के साथ (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी आवेदक 55% यदि रिक्तियां इनके लिए आरक्षित हों) । **वांछनीय :** जिन प्रत्याशियों के पास निम्नलिखित प्रासंगिक उद्योग प्रमाणपत्र होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी: एआई / एमएल / डेटा साइंस या पूर्ण स्टैक अनुप्रयोग विकास या सीआईएसएसपी, सीआईएसएम, सीईएच प्रमाणन, या समकक्ष या आईटी सेवा प्रबंधन में आईटीआईएल फाउंडेशन प्रमाणित	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। या (ग) भारतीय या विदेशी एक्सचेंजों में सूचीबद्ध बड़े कार्पोरेट और उनकी अनुषंगियां या (घ) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकृत/विनियमित एनबीएफसी /फिनटेक कंपनियाँ/ माइक्रोफाइनेंस संस्थान या (ड.) एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई), या सेबी में पंजीकृत म्यूचुअल फंड/एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) जो म्यूचुअल फंड प्रबंधन, परिचालन, अनुपालन, नियामक मामलों, उत्पाद प्रबंधन, निवेश प्रबंधन और/या म्यूचुअल फंड व्यवसाय से सीधे संबंधित अन्य कार्यों के क्षेत्रों में कार्य करती है। **टिप्पणी:** - जिन अभ्यर्थियों के पास संयुक्त अनुभव (उपर्युक्त क्रम संख्या (क), (ख), (ग) (घ) और (ड.) के अनुसार) **दो वर्ष का** है, वे आवेदन करने के पात्र हैं। **वांछनीय :** - रीमोट प्रोसेस स्वचालन उपकरणों में कार्य करने का अनुभव। या - यूआई कौशल में काम करने का अनुभव। या

				- उद्यम-स्तरीय सुरक्षा समाधानों के डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रबंधन में अनुभव। - सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए विविध टीमों और हितधारकों के साथ काम करने का अनुभव। या - नेटवर्क, वर्चुअलाइजेशन/क्लाउड और भंडारण प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रबंधन में अनुभव। या - उच्च उपलब्धता, विश्वसनीयता और मापनीयता सुनिश्चित करने वाले बुनियादी ढांचे के डिजाइन सिद्धांतों का अनुभव।
प्रबंधक ग्रेड 'बी'	**हिन्दी**	33	**अनिवार्य** : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों या कुल अंकों में समकक्ष, के साथ स्नातक की डिग्री (जिसमें अभ्यर्थी ने स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के कम से कम दो वर्षों के लिए अनिवार्य / वैकल्पिक विषयों के रूप में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का अध्ययन किया है; और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी से अंग्रेजी और विलोमत: अनुवाद में न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का स्नातकोत्तर डिप्लोमा। **अथवा** कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंकों के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री। अभ्यर्थियों द्वारा स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के कम से कम 02 वर्षों में मुख्य / वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन किया होना चाहिए। **अथवा**	**अनिवार्य** : निम्नलिखित में से किसी भी संगठन/संस्थान में कम से कम पाँच वर्षों का अर्हता पश्चात स्थायी कर्मचारी / पूर्णकालिक प्रत्यक्ष संविदात्मक कर्मचारी (तृतीय-पक्ष पेरोल कर्मचारी पात्र नहीं होंगे) शब्दावली/ तकनीकी शब्दावली तैयार करने/ रचने, और/या अंग्रेज़ी से हिंदी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, और/या आधिकारिक भाषा (राजभाषा) नीति के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य में कार्य अनुभव होना चाहिए: (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीअआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी); या (ख)केंद्र/राज्य सरकार के विभाग/कार्यालय, वैधानिक या स्वायत्त निकाय, सरकारी उपक्रम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) या अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थान

			कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंकों के साथ **अंग्रेजी** में मास्टर डिग्री। अभ्यर्थियों द्वारा स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के कम से कम 02 वर्षों में मुख्य / वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी का अध्ययन किया होना चाहिए। **टिप्पणी : -** अभ्यर्थियों को अंग्रेजी से हिंदी में और विलोमत: अनुवाद कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	या (ग) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक; या (घ) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) और सिडबी या (ड.) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकृत/विनियमित एनबीएफसी /फिनटेक कंपनियाँ/ माइक्रोफाइनेंस संस्थान या (च) राष्ट्रीय या राज्य-स्तरीय साप्ताहिक प्रकाशन/समाचार पत्र; **नोट:** - जिन उम्मीदवारों का संयुक्त अनुभव क्रम सं. (क), (ख), (ग), (घ), (ड.) और (च) ऊपर में पाँच वर्षों का है, वे आवेदन करने के पात्र हैं। **वांछनीय:** (i) हिन्दी और /या अंग्रेजी में प्रकाशित साहित्यक कार्य
प्रबंधक ग्रेड 'बी'	**सूचना प्रणाली / सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) (कौशल सेट-एआई/एमएल ऑटोमेशन / फुल स्टैक एप्लिकेशन डेवलपमेंट / सुरक्षा / इंफ्रास्ट्रक्चर**	33	**अनिवार्य :** इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री (बी.ई../बी टेक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से या संबंधित सरकारी नियामक निकाय द्वारा अनुमोदित किसी भी विषय में, कुल मिलाकर न्यूनतम 60% अंक (अजा / अजजा/पीडब्ल्यूबीडी	**अनिवार्य :** इनमें से किसी संस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी में आईटी/सिस्टम्स अधिकारी [स्थायी / पूर्णकालिक प्रत्यक्ष अनुबंध पर (तृतीय-पक्ष पेरोल कर्मचारी पात्र नहीं होंगे)] के रूप में कम से कम पाँच वर्षों का अर्हता पश्चात अनुभव: (क) भारतीय रिजर्व बैंक

	और नेटवर्क)		उम्मीदवारों के लिए 55%, जहाँ भी रिक्ति उस श्रेणी के लिए आरक्षित हो)। (**नोट**: प्राथमिकता उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जिनके पास कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी, या संबद्ध विषयों में बी.ई./बी.टेक. डिग्री है)। या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय / संस्थान से **एमसीए** कुल मिलाकर 60% अंकों के साथ (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी आवेदक 55% यदि रिक्तियां इनके लिए आरक्षित हों) । **वांछनीय :** जिन प्रत्याशियों के पास निम्नलिखित प्रासंगिक उद्योग प्रमाणपत्र होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी: एआई / एमएल / डेटा साइंस या पूर्ण स्टैक अनुप्रयोग विकास या सीआईएसएसपी, सीआईएसएम, सीईएच प्रमाणन, या समकक्ष या आईटी सेवा प्रबंधन में आईटीआईएल फाउंडेशन प्रमाणित	(आरबीअआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी); (ख) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे - भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) और सिडबी या (ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। या (घ) भारतीय या विदेशी एक्सचेंजों में सूचीबद्ध बड़े कार्पोरेट और उनकी अनुषंगियां या (ड.) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकृत/विनियमित एनबीएफसी /फिनटेक कंपनियाँ/ माइक्रोफाइनेंस संस्थान या (च) एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई), या सेबी में पंजीकृत म्यूचुअल फंड/एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड प्रबंधन, परिचालनअनुपालन, नियामक मामलों, उत्पाद प्रबंधन, निवेश प्रबंधन और/या म्यूचुअल फंड व्यवसाय से सीधे संबंधित अन्य कार्यों के क्षेत्रों में कार्य करती है। **टिप्पणी:** - जिन अभ्यर्थियों के पास संयुक्त अनुभव

				(उपर्युक्त क्रम संख्या (क), (ख), (ग) (घ) (ड.) और (च) के अनुसार) **पाँच वर्ष का** है, वे आवेदन करने के पात्र हैं। ऊपर बताए गए पांच वर्षों के अनुभव में से: - कम से कम 2 वर्षों का अनुभव AI/ML समाधानों में होना चाहिए, साथ ही एमएल / डीप लर्निंग एल्गोरिदम के विकास में व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए और - कम से कम 2 वर्षों का अनुभव Python, R प्रोग्रामिंग में होना चाहिए। या - कम से कम 2 वर्षों का अनुभव वेब एप्लिकेशन विकास में होना चाहिए और - कम से कम 2 वर्षों का अनुभव RDBMS, SQL और PL SQL प्रोग्रामिंग में होना चाहिए। या - आईटी सुरक्षा प्रबंधन में 5 वर्षों का अनुभव। या - आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क मैनेजमेंट में 5 वर्षों का अनुभव। - **वांछनीय :** - रीमोट प्रोसेस स्वचालन उपकरणों में कार्य करने का अनुभव। या - यूआई कौशल में काम करने का अनुभव। या - उद्यम-स्तरीय सुरक्षा समाधानों के डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रबंधन में

				अनुभव। - सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए विविध टीमों और हितधारकों के साथ काम करने का अनुभव। या - नेटवर्क, वर्चुअलाइजेशन/क्लाउड और भंडारण प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रबंधन में अनुभव। या - उच्च उपलब्धता, विश्वसनीयता और मापनीयता सुनिश्चित करने वाले बुनियादी ढांचे के डिजाइन सिद्धांतों का अनुभव।
प्रबंधक ग्रेड 'बी'	**विधि**	33	**अनिवार्य :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित किसी भी विश्वविद्यालय / संस्थान से कानून में स्नातक की डिग्री। सभी सत्र /वर्षों के कुल योग में न्यूनतम 50% अंक या समकक्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग प्रत्याशियों के लिए 45%, यदि रिक्तियां आरक्षित हों) तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अधिवक्ता के रूप में नामांकित।1 वांछनीय : (क) विधि में स्नातकोत्तर डिग्री /कंपनी सचिव (सीएस) की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। (ख) कंप्यूटर अनुप्रयोगों में दक्षता।	**अनिवार्य** : विधि अधिकारी के रूप में कानून के क्षेत्र में कम से कम पाँच वर्षों का अर्हता पश्चात कार्य अनुभव [स्थायी / पूर्णकालिक प्रत्यक्ष अनुबंध (तृतीय-पक्ष पेरोल के कर्मचारी पात्र नहीं होंगे)], साथ ही विधि, वसूली और/या वाणिज्यिक अनुबंध प्रबंधन कार्यों में अनुभव, जिसमें वाणिज्यिक अनुबंधों और समझौतों का मसौदा तैयार करना, जांच, मोलभाव वार्ता और प्रबंधन शामिल है, निम्नलिखित में से किसी भी संगठन/संस्थान में: (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) या (ख) कोई भी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे - भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक

				(एनएबीएफआईडी) और सिडबी। या (ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। या (घ) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) या (ड.) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकृत/विनियमित एनबीएफसी /फिनटेक कंपनियाँ/ माइक्रोफाइनेंस संस्थान या (च) डीआरटी, डीआरएटी, एनसीएलटी / एनसीएलएटी **टिप्पणी:** - जिन अभ्यर्थियों के पास संयुक्त अनुभव (उपर्युक्त क्रम संख्या (क), (ख), (ग), (घ) (ड.) और (च) के अनुसार **पांच वर्ष का** है, वे आवेदन करने के पात्र हैं। **वांछनीय:** बैंकिंग कानून, कंपनी कानून, श्रम कानून, संवैधानिक कानून, वसूली, दिवाला एवं दिवालियापन कानून, संपत्ति और राजस्व मामलों आदि का विशेष ज्ञान तथा दलीलों और दस्तावेजों के प्रारूपण का अनुभव।

टिप्पणी: i. एक **प्रत्याशी** केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है और किसी भी **प्रत्याशी** द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाएँगे। एक से अधिक आवेदनों की स्थिति में, केवल नवीनतम वैध (पूर्ण) आवेदन ही मान्य होगा और अन्य एकाधिक पंजीकरणों के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

ii. सिडबी को प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अंकों के प्रतिशत में पात्रता

मानदंड को बढ़ाने /संशोधित करने का अधिकार होगा। **प्रत्याशी** के पास पंजीकरण के दिन लागू स्नातक/स्नातकोत्तर की वैध मार्कशीट/डिग्री प्रमाणपत्र होना चाहिए और **उन्हें** ऑनलाइन पंजीकरण करते समय स्नातक में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाना होगा । जिन **प्रत्याशियों** के परिणाम प्रतीक्षित हैं , वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे ।

iii. स्टाफ अभ्यर्थी भी विज्ञापित पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, बशर्ते कि वे पात्रता मानदंड पूरा करते हों, जिसके लिए उन्हें सामान्य भर्ती की तरह आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है। 5 वर्ष की आयु में छूट, **(केवल सिडबी कर्मचारियों हेतु)** उनकी संबंधित श्रेणी अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांगजन को पहले से दी जा रही आयु में छूट के अतिरिक्त होगी।

iv. **अंकों की प्रतिशतता प्रत्याशी** द्वारा सभी सत्रों/वर्षों में सभी विषयों में प्राप्त कुल अंकों को, ऑनर्स/वैकल्पिक/अतिरिक्त वैकल्पिक विषय, यदि कोई हो तो, पर ध्यान दिए बिना, सभी विषयों में कुल अधिकतम अंकों से विभाजित करके प्राप्त किए जाएँगे । यह उन विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा जहाँ कक्षा / ग्रेड केवल ऑनर्स अंकों के आधार पर तय किया जाता है । प्रत्याशी को ऑनलाइन आवेदन में, जैसा भी मामला हो, स्नातक/स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत को निकटतम दो दशमलव तक दर्शाना होगा । इस प्रकार प्राप्त प्रतिशत के अंश को नजरअंदाज कर दिया जाएगा अर्थात 59.99% को 60% से कम और 54.99% को 55% से कम माना जाएगा।

v. कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान श्रेणी या अंकों का प्रतिशत प्रदान नहीं करते हैं और समग्र ग्रेड पॉइंट [जैसे सीजीपीए/ओजीपीए/सीपाआई आदि] आवंटित करते हैं। जहाँ सीजीपीए/ओजीपीए/सीपाआई प्रदान किया जाता है, उसे ऑनलाइन आवेदन में किए गए उल्लेख के अनुसार प्रतिशत में परिवर्तित किया जाना चाहिए। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान समग्र ग्रेड पॉइंट को श्रेणी और/या अंकों के प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए मानदंड निर्धारित करता है तो, उसे स्वीकार किया जाएगा। हालाँकि, जहाँ विश्वविद्यालय/संस्थान समग्र ग्रेड पॉइंट को श्रेणी और/या अंकों के प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए मानदंड निर्धारित नहीं करते हैं, वहाँ अपरिभाषित मानदंड निम्नानुसार निर्धारित किए जाएँगे:

समतुल्य सीजीपीए/ओजीपीए/सीपाआई या 10-बिंदु पैमाने पर समान आवंटित शब्दावली	कक्षा / प्रभाग	अंकों का कुल %
6.75	I प्रथम]	60%
6.25	II [द्वितीय]	55%
5.75	II [द्वितीय]	50%
5.25	II [द्वितीय]	45%

प्रदत्त कुल ग्रेड अंक अथवा अंकों का प्रतिशत से तात्पर्य पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान प्राप्त कुल अंक है।

vi. जहां कुल ग्रेड अंक [सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि] 10 के अलावा किसी अन्य संख्या में से दिए जाते हों, तो इसे 10 के समतुल्य परिवर्तित करते हुए, इसकी गणना उक्त मद[v] के अनुरूप की जाएगी ।

vii. सभी शैक्षणिक योग्यताएं यूजीसी / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों

से प्राप्त की जानी चाहिए।

viii. चयन की स्थिति में (साक्षात्कार के समय इस संबंध में वचनबद्धता प्रस्तुत करने के अधीन), **11 दिसंबर, 2026** को या उससे पहले परिणाम घोषित किए जाने के संबंध में बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान से उचित दस्तावेज, साक्षात्कार/कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करना होगा। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा जारी मार्कशीट या अनंतिम प्रमाण पत्र पर दिखाई देने वाली तिथि होगी। यदि किसी विशेष परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय / संस्थान की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है और वेब-आधारित प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो, विश्वविद्यालय / संस्थान के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी और हस्ताक्षरित मूल दस्तावेज / प्रमाण पत्र, जिसमें उत्तीर्ण होने की तारीख का उचित उल्लेख हो, सत्यापन और आगे की प्रक्रिया के लिए अपेक्षित होगा। कृपया ध्यान दें कि साक्षात्कार /कार्यग्रहण, यदि चयनित हो तो, (साक्षात्कार के समय इस संबंध में वचनबद्धता प्रस्तुत करना) के समय मूल अनंतिम / अंतिम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और ऐसा न करने वाले आवेदकों की उम्मीदवारी तत्काल खारिज कर दी जाएगी।

ix. **एमबीए / पीजीडीएम के मामले में:** - अंतिम वर्ष में उपस्थित होने वाले ग्रेड 'ए' आवेदक (सामान्य संवर्ग), अंतिम मार्कशीट और अनंतिम / अंतिम पोस्ट-ग्रेजुएशन डिग्री प्रमाण पत्र, कार्यग्रहण के समय मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे (यदि चयनित हुए), जिसमें विफल रहने पर आवेदकों की उम्मीदवारी को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

4. कार्य का स्वरूप : -

पद	कार्य का स्वरूप
सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' (सामान्य संवर्ग)	देश में सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के शीर्ष वित्तीय संस्थान के रूप में, अधिकारियों से निम्नलिखित में से एक या अधिक क्षेत्रों में सक्रिय योगदान देने की अपेक्षा की जाती है: • **ऋणों का उधार/अग्रिम**, जिसमें व्यवसाय विकास, एमएसएमई ऋण प्रस्तावों का मूल्य निरूपण, ऋण मूल्यांकन, मंजूरी, दस्तावेज़ीकरण, संवितरण, ग्राहक प्रबंधन, क्रेडिट निगरानी और फॉलो-अप शामिल हैं। • **वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी और/या ऋण वित्तपोषण/निवेश,** जिसमें निवेश प्रस्तावों का मूल्य निरूपण / मूल्यांकन, वित्तीय विश्लेषण, समुचित सावधानी, लेनदेन मूल्यांकन, पोर्टफोलियो निगरानी और संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं। • **ट्रेजरी और/या संसाधन प्रबंधन**, जिसमें ट्रेजरी परिचालन, आस्ति-देयता/तरलता प्रबंधन, संसाधन जुटाना, निवेश-संबंधी गतिविधियाँ और संबंधित निगरानी एवं रिपोर्टिंग शामिल हैं। • **जोखिम प्रबंधन,** जिसमें क्रेडिट, बाजार, तरलता और परिचालन जोखिम-संबंधित कार्य शामिल हैं, जोखिम मूल्यांकन, निगरानी, रिपोर्टिंग और लागू जोखिम प्रबंधन ढांचे का कार्यान्वयन।

	• **विशेष उल्लेख खातों (SMAs) का प्रबंधन** और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) का प्रबंधन, जिसमें वसूली अनुवर्ती कार्रवाई और कानूनी तथा वसूली से संबंधित मामलों का समन्वय/सुविधा शामिल है। • **ऑडिट और/या अनुपालन**, जिसमें आंतरिक/समवर्ती ऑडिट-संबंधित गतिविधियाँ, अनुपालन निगरानी, नियामक रिपोर्टिंग और लागू नीतियों, दिशानिर्देशों और नियामक आवश्यकताओं का पालन शामिल है। • **एमएसएमई** के वित्तपोषण, संवर्धन और विकास के लिए नीतियों, योजनाओं और सुविधाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में सहायता करना। • **एमएसएसई पारितंत्र को मजबूत** करने और क्षेत्र में मापनीय प्रभाव पैदा करने के उद्देश्य से कार्यक्रम और विकासात्मक पहल करना। • **संग्रह प्रबंधन / विश्लेषण**: वसूलियों, अपचारिता और पुनर्प्राप्ति प्रदर्शन की निगरानी; प्रारंभिक चेतावनी संकेतों और उच्च जोखिम वाले खातों की पहचान करना; संबंधित टीमों के साथ दबावग्रस्त/एनपीए खातों के समाधान का समन्वय करना; और डैशबोर्ड, एमआईएस और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करना जो प्रमुख रुझानों, पुनर्प्राप्ति प्रगति और अनुशंसित कार्यों को उजागर करते हैं। • विभिन्न मंचों पर सिडबी का प्रतिनिधित्व करना और क्रेडिट/निवेश या अन्य समितियों में भाग लेना, जैसे कार्य सौंपे जा सकते हैं। • क्रेडिट प्रस्तावों/खातों की समय पर समीक्षा/नवीनीकरण और क्रेडिट पोर्टफोलियो की निगरानी, जिसमें व्यवसाय वृद्धि और ग्राहक अधिग्रहण उद्देश्यों की प्राप्ति शामिल है। • बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य दायित्व / कार्य।
सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' और प्रबंधक ग्रेड 'बी' (हिंदी (संवर्ग)	अधिकारी भारत सरकार और बैंक की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और संवर्धन के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें अनुवाद, द्विभाषी संचार, राजभाषा अनुपालन, क्षमता निर्माण, निगरानी, रिपोर्टिंग और हितधारक जुड़ाव शामिल हैं, ताकि बैंक के परिचालनों में हिंदी का प्रभावी उपयोग और राजभाषा अधिनियम, नियमों और सरकारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। **<u>प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल होंगे:</u>** • कार्यालयों और परिचालन इकाइयों में बैंक की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और निगरानी • दस्तावेजों, परिपत्रों, मैनुअल, करारों, रिपोर्टों, प्रकाशनों, वेबसाइट सामग्री, प्रचार सामग्री और अन्य आधिकारिक पत्राचार का अंग्रेजी से हिंदी में और विलोमत: अनुवाद तथा जांच करना। • राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना। • द्विभाषी संचार, रिपोर्ट, प्रस्तुतियों, प्रपत्रों, टेम्पलेट्स, प्रकाशनों और ज्ञान

	संसाधनों को तैयार करना और उसकी समीक्षा करना। • सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग का समन्वय और निगरानी करना और राजभाषा नीतियों के कार्यान्वयन में सुधार के उपायों हेतु सुझाव देना। • हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए हिंदी कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी दिवस समारोह और अन्य संवर्धक गतिविधियों का आयोजन करना। • राजभाषा कार्यान्वयन और द्विभाषी पत्राचार से संबंधित मामलों पर विभिन्न विभागों और कार्यालयों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना। • आंतरिक और बाहरी हितधारकों के लिए राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित आवधिक रिपोर्ट, विवरणियों, डैशबोर्ड और अनुपालन प्रस्तुतियाँ तैयार करना। • राजभाषा के अनुपालन और कार्यान्वयन के संबंध में कार्यालयों का निरीक्षण, समीक्षा और मूल्यांकन करना। • बैंकिंग, वित्त, एमएसएमई विकास और सरकारी योजनाओं से संबंधित हिंदी शब्दावली, संदर्भ सामग्री, शब्दावली और भाषा संसाधनों का विकास करना। • बैंक की वेबसाइट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रकाशनों, सोशल मीडिया और संचार सामग्री के लिए हिंदी सामग्री का प्रबंधन। • राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर सरकारी मंत्रालयों, विभागों, संसदीय समितियों, नियामक प्राधिकारियों और अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क रखना । • अनुवाद की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार के लिए डिजिटल उपकरणों, अनुवाद प्रौद्योगिकियों, एआई-सक्षम भाषा समाधान और ज्ञान प्रबंधन प्लेटफार्मों का लाभ उठाना। • राजभाषा से संबंधित पहलों के लिए अनुवाद एजेंसियों, भाषा विशेषज्ञों, प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य बाहरी भागीदारों के साथ समन्वय करना। • बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।
सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' और प्रबंधक ग्रेड 'बी' (विधि संवर्ग)	अधिकारियों में बैंक के सभी कानूनी कार्यों को स्वतंत्र रूप से संभालने की क्षमता होनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं; • बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट मामलों में बंधक और अन्य संपत्तियों सहित प्रतिभूतियों पर प्रतिभूति /प्रभार के सृजन और प्रवर्तन पर कानूनी राय प्रदान करना। • डीआरटी आवेदन, वाणिज्यिक विवाद आवेदन/पूर्व-संस्था मध्यस्थता, सिविल मुकदमे, आपत्तियां/प्रति-शपथपत्र, रिट याचिकाएं, एनसीएलटी/एनसीएलएटी के समक्ष आईबीसी आवेदन/आपत्तियां, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायतें, कैवेट्स आदि को संभालना, जिसमें सिडबी के मामलों की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं के साथ संपर्क करना शामिल है। • बैंक के हितों की रक्षा के लिए, जहाँ भी लागू हो, आपराधिक शिकायतों का निपटारा करना और वसूली मामलों के संबंध में पुलिस

	स्टेशन/सीबीआई/जांच एजेंसियों आदि के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना। सरफेसी /डीआरटी /डीआरएटी /उच्च न्यायालय के अंतर्गत प्रतिभूति प्रवर्तन मामलों में विभिन्न न्यायालयीय कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण/उपस्थिति और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, मध्यस्थता कार्यवाही/जांच एजेंसियों आदि के समक्ष मामलों का सीधे या अधिवक्ताओं के माध्यम से निपटारा करना । • चूक वाले ऋणों की वसूली से संबंधित बैंक को सौंपी गई आस्तियों की बिक्री/निपटान का पर्यवेक्षण करना। • नीतिगत मुद्दों पर कानूनी सलाह प्रदान करना, सिडबी की इच्छानुसार किसी भी कानूनी मामले पर समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करना। • ऋण वितरण बढ़ाने के लिए अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत स्वत्वाधिकार जांच रिपोर्ट (टीआईआर) का परीक्षण करना और उन्हें स्वीकार करना। • सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत मांग नोटिस, बिक्री नोटिस, नीलामी दस्तावेज आदि तैयार करना/जारी करना। सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण के लिए पंचनामा, सूची आदि तैयार करना तथा ऐसे सभी मामले जिनमें सरफेसी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है । • सरफेसी के अंतर्गत प्रयाभूत आस्तियों का अधिग्रहण, जिसमें मुख्य महाप्रबंधक/जिलाधिकारी कार्यालय/तहसीलदार कार्यालय/राजस्व कार्यालय आदि का दौरा करना शामिल है। • सरफेसी अधिनियम के तहत भौतिक कब्जा लेने में डीएम/सीएमएम की सहायता के लिए दायर/दायर किए जाने वाले आवेदन की धारा 14 का प्रारूपण/समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई। • आईबीसी मामलों सहित वसूली से संबंधित विभिन्न मामलों के संदर्भों को संभालना। • आवश्यकतानुसार ऋणदाता समिति (सीओसी) की बैठकों में भाग लेना। • बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।
सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' और प्रबंधक ग्रेड 'बी' (आईटी संवर्ग)	अधिकारियों से बैंक के परिचालनों के निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में अतिसक्रिय योगदान अपेक्षित होंगे- **(कौशल सेट - एआई/एमएल ऑटोमेशन)**
	• व्यावसायिक आवश्यकताओं को समझें और एमएल समाधानों के लिए अवसरों की पहचान करें। • डेटा मॉडलिंग, मशीन लर्निंग, सांख्यिकी और विश्लेषण का उपयोग करके डेटा समाधान और अंतर्दृष्टि विकसित करें। • डेटा सटीकता, स्थिरता और प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक समस्या के लिए सर्वोत्तम एमएल समाधान का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। • मॉडल प्रदर्शन, विलंबता, मेमोरी और थ्रूपुट को अनुकूलित करें। • एआई समाधानों का डिज़ाइन और विकास।

	• मशीन लर्निंग मॉडल, डीप लर्निंग, वर्गीकरण मॉडल, सांख्यिकीय विधियाँ और एनएलयू/एनएलपी का अनुप्रयोग। • मॉडल प्रदर्शन और डेटा सटीकता की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं और उपकरणों का विकास करना। • संबंधित व्यवसाय का विश्लेषण करना तथा प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए व्यवसाय के भीतर अग्रणी और पिछड़े संकेतकों के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करना। • डेटा विज़ुअलाइज़ेशन तकनीकों का उपयोग करके जानकारी प्रस्तुत करना। • संबंधित कार्यात्मक क्षेत्र में कोई अन्य कार्य/जिम्मेदारिया, जो बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपी जा सकती हैं। **(कौशल सेट - पूर्ण स्टैक एप्लिकेशन डेवलपमेंट)** • जावा और संबंधित फ्रेमवर्क में जटिल वेब अनुप्रयोगों, सेवाओं, एपीआई को डिजाइन करने के लिए आवश्यक कार्य। • आवश्यकता और अनुप्रयोग डिजाइन के आधार पर अपेक्षित डिजाइन और डेटा मॉडल का सृजन । • कोडिंग मानकों, रखरखाव, पुन: प्रयोज्यता के लिए कोड की समीक्षा और अनुकूलन का सुझाव । • व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर पूर्वानुमान उपलब्ध कराना । • आवश्यकता, डिजाइन और कोडिंग चरण में गैर-कार्यात्मक और सुरक्षित कोडिंग की सर्वोत्तम प्रथाओं को समझना और लागू करना। • फ्रंट-एंड आवश्यकताओं को समझें और एंगुलर और सहायक प्रौद्योगिकियों और उपकरणों का उपयोग करके फ्रंट-एंड मॉड्यूल का निम्न स्तर का डिज़ाइन और विकास। • अनुप्रयोग और सर्वर स्तर की समस्याओं को डीबग करने और हल करने की क्षमता। • संबंधित कार्यात्मक क्षेत्र में कोई अन्य कार्य/जिम्मेदारिया, जो बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपी जा सकती हैं। **(कौशल सेट - सुरक्षा)** • उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार आईटी सुरक्षा विन्यास को डिजाइन करना। • विनियामक और अनुपालन ढांचे के अनुपालन में सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं का विकास। • संगठन की सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षा समाधान और उपकरण डिज़ाइन और कार्यान्वित करें। • सुरक्षा जोखिमों की पहचान करने, शमन रणनीति/योजना विकसित करने, समाधानों को लागू करने और निगरानी करने के लिए क्रॉस-फ़ंक्शनल टीमों के साथ सहयोग करना।

	• विनियामक आवश्यकताओं और उद्योग मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित जोखिम मूल्यांकन और सुरक्षा ऑडिट संपन्न करना। • नवीनतम सुरक्षा खतरों, प्रवृत्तियों और प्रौद्योगिकियों से अद्यतन बने रहना तथा संगठन की सुरक्षा स्थिति का निरंतर मूल्यांकन और उसे सशक्त बनाना। • लाइव होने से पहले अनुप्रयोग सुरक्षा नियंत्रणों को मान्य करना। • आरसीए, समाधान-प्रक्रिया और समापन के लिए ऑपरेशन टीम द्वारा उठाए गए घटनाओं की समीक्षा/जांच करना। • प्रासंगिक प्रौद्योगिकी टीमों/विक्रेताओं के साथ समन्वय करके नियमित घटनाओं/घटनाओं का शमन सुनिश्चित करना। • संबंधित कार्यात्मक क्षेत्र में कोई अन्य कार्य/जिम्मेदारिया, जो बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपी जा सकती हैं। **(कौशल सेट - बुनियादी ढांचा और नेटवर्क)** • सर्वर, भंडारण और नेटवर्किंग प्रणालियों सहित आईटी अवसंरचना का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव किया जाना। • क्लाउड-आधारित बुनियादी ढांचे और सेवाओं को लागू और उनका प्रबंध करना • आईटी अवसंरचना उन्नयन और प्रवसन की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना • सिस्टम-निष्पादन की निगरानी करना, समस्याओं का निवारण करना, और उच्च उपलब्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। • आईटी नीतियों, प्रक्रियाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास और प्रवर्तन करना। • डेटासेंटर नेटवर्क और नेटवर्क सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे को लागू करना और उसे कायम रखना। • एंटरप्राइज़ लैन और वाई-फाई अवसंरचना का प्रबंध और रखरखाव करना। • सिस्टम डिजाइन, स्थापना, कॉन्फ़िगरेशन, परीक्षण, अपग्रेड और रखरखाव प्रक्रियाओं सहित आईटी बुनियादी ढांचे के लिए दस्तावेज विकसित करना और बनाए रखना। • टीम द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना , टीम के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण और प्रदर्शन निगरानी, तथा स्वचालन सहित दक्षता के लिए निरंतर प्रक्रिया सुधार। • आईटी उपकरणों/सेवाओं का सुरक्षित विन्यास सुनिश्चित करना तथा बैंक द्वारा निर्धारित एसएलए के अनुसार सदोष बिंदुओं को ठीक किया जाना। • सेवा वितरण, एसएलए और निष्पादन प्रबंध के लिए विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय और निगरानी करना तथा वितरण, गुणवत्ता या अनुपालन

	से संबंधित किसी भी मुद्दे का समाधान करना। • संगठन की नीति/प्रक्रियाओं के अनुसार बीसीपी/डीआर अभ्यास का संचालन करना। • संबंधित कार्यात्मक क्षेत्र में कोई अन्य कार्य/जिम्मेदारिया, जो बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपी जा सकती हैं।

5. आरक्षण / छूट / रियायतें

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण/छूट/रियायतें दी जाएंगी।

(ii) बेंचमार्क दिव्यांगतावाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षण-

"विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" की धारा 34 के तहत, बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र होंगे। इस पद को विकलांगों की श्रेणियों के तहत व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना गया है जैसा कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की अनुसूची में परिभाषित किया गया है और समय-समय पर विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(ए) ऑर्थोपेडिक रूप से चुनौती वाले वर्ग: "ओसी" वर्ग:

सेरेब्रल पाल्सी, ठीक हुआ कुष्ठ रोग, बौनापन, मस्कुलो इस्क्लेटिल या तंत्रिका तंत्र या दोनों के परिणामस्वरूप स्वयं के और वस्तुओं के परिचालन से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थ व्यक्ति अथवा तेजाब आक्रमण के शिकार व्यक्ति। ऑर्थोपेडिक रूप से बाधित व्यक्तियों को निम्नलिखित बेंचमार्क के साथ लोकोमोटर दिव्यांगताके तहत कवर किया जाता है:

(ए) ओए - एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां)

(बी) ओएल - एक पैर प्रभावित (दायां या बायां)

(सी) ओएएल - एक हाथ और एक पैर प्रभावित

(डी) बीएल - दोनों पैर प्रभावित होते हैं लेकिन हाथ नहीं

ओए और ओएएल श्रेणी वाले व्यक्तिय सामान्यतः दोनों हाथों से कार्य करने में सक्षम होने चाहिए।

(i) "कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके व्यक्ति" का अर्थ है एक व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो चुका है लेकिन निम्न से पीड़ित है:

(क) हाथों या पैरों में संवेदना की हानि के साथ-साथ आंख और पलक में संवेदना की हानि और पक्षाघात लेकिन कोई स्पष्ट विकृति नहीं;

(ख) प्रकट विकृति और पक्षाघात, लेकिन उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होना जिससे वे सामान्य आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो सकें;

(ग) अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ-साथ बढ़ती आयु जो व्यक्ति को कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से रोकती है, और अभिव्यक्ति "कुष्ठ रोगमुक्त" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(ii) "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ है शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का एक समूह, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण होता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, जन्म के दौरान या उसके तुरंत बाद होता है;

(iii) "बौनापन" का अर्थ है एक चिकित्सीय या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है;

(iv) मस्कुलर डिस्ट्रॉफी" का अर्थ वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशियों की बीमारी का एक समूह है जो मानव शरीर को स्थानांतरित करने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है। डिस्ट्रोफी वाले व्यक्तियों के जीन में जानकारी त्रुटिपूर्ण और अनुपलब्ध होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण नहीं करने देती। कंकाल की मांसपेशियों की प्रगामी कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों का मृत होना इसके लक्षण हैं।

(v) एसिड अटैक पीड़ित" का अर्थ है तेजाब या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ के द्वारा किए गए हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।

(बी) दृश्य क्षीणता ("VI" श्रेणी): केवल वे दृष्टिबाधित (VI) व्यक्ति जो सर्वोत्तम सुधार के बाद निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति से पीड़ित हैं, आवेदन करने के पात्र हैं।

(i) अंधापन:

(क) दृष्टि का पूर्ण अभाव; अथवा

(ख) बेहतर आँख में दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम, जिसमें सर्वोत्तम संभव सुधार हो; या

(ग) दृष्टि क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम का कोण बनाती है। अथवा

(ii) कम दृष्टि:

(i) दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक न हो या 20/60 से कम हो या 3/60 तक हो या 10/200 (स्नेलन) तक हो, बेहतर आँख में, सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ; या

(ii) दृष्टि क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम से लेकर 10 डिग्री तक का कोण बनाती है ।

(सी) श्रवण बाधित ("एचआई" श्रेणी):

(i) **बधिर:** इसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाणी आवृत्तियों में 70 डीबी श्रवण हानि हो।

(ii) **श्रवण बाधित** व्यक्ति का अर्थ है, दोनों कानों में वाणी आवृत्ति में 60 डीबी से 70 डीबी तक श्रवण हानि होना।

(डी) "आईडी" श्रेणी: केवल वे व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की दिव्यांगतासे पीड़ित हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं:

(i) बौद्धिक दिव्यांगता .

(क) **ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी)** एक न्यूरो-विकासात्मक स्थिति है जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है, जो व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।

(ख) **"मानसिक बीमारी" (एमआई)** का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार जो निर्णय, व्यवहार , वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से क्षीण कर देता है , लेकिन इसमें मंदबुद्धि शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की स्थिति है, जो विशेष रूप से बुद्धि की उप-सामान्यता द्वारा चिह्नित है।

(ई) "बहु-दिव्यांगता " से तात्पर्य खंड "ए", "बी", "सी", "डी (आई)" में से एकाधिक दिव्यांगता से है ।

नोट: केवल बेंचमार्क दिव्यांगतावाले व्यक्ति ही आरक्षण के लिए पात्र होंगे। "बेंचमार्क दिव्यांगता " का अर्थ है, निर्दिष्ट दिव्यांगता के 40% से कम न होने वाला व्यक्ति, जहाँ निर्दिष्ट दिव्यांगताको मापने योग्य शब्दों में

परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें वे दिव्यांगतावाले व्यक्ति शामिल हैं, जहाँ दिव्यांगताको प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित मापनीय शब्दों में परिभाषित किया गया है।

- ✓ जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है, उसे भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगताप्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रमाण पत्र सत्यापन/ पुन: सत्यापन के अधीन होगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है।
- ✓ बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आवंटन "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" में निर्धारित और सिडबी द्वारा तय किए गए अनुसार होगा।
- ✓ पीडबल्यूबीडी अभ्यर्थियों के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में हाल ही का दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मेडिकल बोर्ड सक्षम प्राधिकारी होगा जिसका विधिवत गठन केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। केंद्र/राज्य सरकार कम से कम 3 सदस्यों से मिलकर मेडिकल बोर्ड (बोर्डों) का गठन कर सकती है, जिसमें से कम से कम एक लोकोमोटर / सेरेब्रल / दृश्य / श्रवण दिव्यांगता या किसी अन्य दिव्यांगता का आकलन करने के लिए विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा। इस तरह के लाभों का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय / प्रक्रिया के किसी भी चरण में अपने दावे के समर्थन में मूल रूप से प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस विज्ञापन के अंत में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर या उससे पहले जारी) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पीडबल्यूबीडी के लिए आरक्षण को समवर्ती आरक्षण कहा जाता है और इन्हें प्रासंगिक आरक्षण रोस्टर में आने वालों की संख्या के प्रति समायोजित किया जाएगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र का प्रारूप सिडबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बैंक ने शारीरिक आवश्यकताओं और कार्यात्मक वर्गीकरण के साथ नीचे उल्लिखित पदों के लिए उपयुक्त निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। इसलिए, पीडब्ल्यूबीडी प्रत्याशियों की केवल निम्नलिखित श्रेणियां पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं:

पद	**कार्यात्मक आवश्यकताएँ**	**जिन दिव्यांगता श्रेणियों के लिए पद चिह्नित किया गया है**	**पदों के लिए उपयुक्त दिव्यांगता की प्रकृति**
ग्रेड 'ए/बी' के अधिकारी (सहायक प्रबंधक / प्रबंधक) [जनरल स्ट्रीम]	एस-बैठना डब्ल्यू- चलना एमएफ- उंगलियों से हेरफेर आरडब्ल्यू- पढ़ना और लिखना एसइ-देखना सी- संचार एस-बैठना डब्ल्यू-चलना, एमएफ- उंगलियों से हेरफेर आरडब्ल्यू-पढ़ना	श्रेणी (ए)	B = अंधापन LV = कम दृष्टि
		श्रेणी (बी)	HH = सुनने में कठिनाई
		श्रेणी (सी)	OA = एक हाथ प्रभावित, OL = एक पैर प्रभावित, BA = दोनों हाथ प्रभावित, BL = दोनों पैर प्रभावित, OAL = एक हाथ और एक पैर प्रभावित, BLOA = दोनों पैर और एक हाथ प्रभावित, BLA = दोनों हाथ और दोनों पैर प्रभावित, CP = सेरेब्रल पाल्सी, LC = कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके व्यक्ति, Dw = बौनापन (ड्वार्फिज्म), AAV = एसिड अटैक पीड़ित, MDy = मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (रीढ़ की हड्डी की विकृति (SD) / रीढ़ की हड्डी की

	और लिखना, SE-देखना C - संचार		चोट (SI), जिसमें अंगों की कार्यक्षमता पर कोई असर न पड़ा हो,उन्हें OA, OL, BA, BL, OAL, BLOA और BLA की संबंधित उप-श्रेणियों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा)रीढ़ की हड्डी की विकृति (SD) - जिसमें कोई न्यूरोलॉजिकल या अंगों की कार्यक्षमता संबंधी समस्या न हो (अंग की शिथिलता)
		श्रेणी (डी)	ASD(M)= ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (हल्का) MI= मानसिक बीमारी
		श्रेणी (ई)	एमडी=बहुविध दिव्यांगता (उपरोक्त (ए) से (डी) शामिल है)
ग्रेड 'ए' के अधिकारी (सहायक प्रबंधक) [ब्रांडिंग और संचार संवर्ग]	एस-बैठना डब्ल्यू-चलना, एमएफ- उंगलियों से हेरफेर आरडब्ल्यू-पढ़ना और लिखना, SE-देखना C - संचार	श्रेणी (ए)	बी = अंधापन एलवी = कम दृष्टि
		श्रेणी (बी)	एचएच = सुनने में कठिनाई
		श्रेणी (सी)	OA = एक हाथ प्रभावित, OL = एक पैर प्रभावित, BA = दोनों हाथ प्रभावित, BL = दोनों पैर प्रभावित, OAL = एक हाथ और एक पैर प्रभावित, BLOA = दोनों पैर और एक हाथ प्रभावित, BLA = दोनों हाथ और दोनों पैर प्रभावित, CP = सेरेब्रल पाल्सी, LC = कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके व्यक्ति, Dw = बौनापन (ड्वार्फिज्म), AAV = एसिड अटैक पीड़ित, MDy = मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (रीढ़ की हड्डी की विकृति (SD) / रीढ़ की हड्डी की चोट (SI), जिसमें अंगों की कार्यक्षमता पर कोई असर न पड़ा हो,उन्हें OA, OL, BA, BL, OAL, BLOA और BLA की संबंधित उप-श्रेणियों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा)रीढ़ की हड्डी की विकृति (SD) - जिसमें कोई न्यूरोलॉजिकल या अंगों की कार्यक्षमता संबंधी समस्या न हो (अंग की शिथिलता)
		श्रेणी (डी)	ASD(M)= ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (हल्का) MI= मानसिक बीमारी
		श्रेणी (ई)	MD=बहुविध दिव्यांगता (उपरोक्त (ए) से (डी) शामिल है)

अधिकारी ग्रेड 'ए/बी' (सहायक प्रबंधक / प्रबंधक) [राजभाषा / हिंदी]	एस-बैठना आरडब्ल्यू-पढ़ना और लिखना, एसइ-देखना सी - संचार,	श्रेणी (ए)	B = अंधापन LV = कम दृष्टि
		श्रेणी (बी)	D = बहरापान HH = सुनने में कठिनाई
		श्रेणी (सी)	OA = एक हाथ प्रभावित, OL = एक पैर प्रभावित, BA = दोनों हाथ प्रभावित, BL = दोनों पैर प्रभावित, OAL = एक हाथ और एक पैर प्रभावित, BLOA = दोनों पैर और एक हाथ प्रभावित, BLA = दोनों हाथ और दोनों पैर प्रभावित, CP = सेरेब्रल पाल्सी, LC = कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके व्यक्ति, Dw = बौनापन (ड्वार्फिज्म), AAV = एसिड अटैक पीड़ित, MDy = मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (रीढ़ की हड्डी की विकृति (SD) / रीढ़ की हड्डी की चोट (SI), जिसमें अंगों की कार्यक्षमता पर कोई असर न पड़ा हो,उन्हें OA, OL, BA, BL, OAL, BLOA और BLA की संबंधित उप-श्रेणियों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा)रीढ़ की हड्डी की विकृति (SD) - जिसमें कोई न्यूरोलॉजिकल या अंगों की कार्यक्षमता संबंधी समस्या न हो (अंग की शिथिलता)
		श्रेणी (डी)	ASD = ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (हल्का) SLD = विशिष्ट अधिगम अक्षमता MI = मानसिक बीमारी
		श्रेणी (ई)	MD = एकाधिक दिव्यांगता (उपरोक्त (ए) से (डी) शामिल है)
सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' और अधिकारी ग्रेड 'बी' (प्रबंधक) [विधि]	एस-बैठना ST-Standing, आरडब्ल्यू-पढ़ना और लिखना, H-Hearing, C - जनसंचार, एमएफ- उंगलियों से हेरफेर	श्रेणी (ए)	B = अंधापन LV = कम दृष्टि
		श्रेणी (बी)	HH = सुनने में कठिनाई
		श्रेणी (सी)	OA = एक हाथ प्रभावित, OL = एक पैर प्रभावित, BA = दोनों हाथ प्रभावित, BL = दोनों पैर प्रभावित, OAL = एक हाथ और एक पैर प्रभावित, BLOA = दोनों पैर और एक हाथ प्रभावित, BLA = दोनों हाथ और दोनों पैर प्रभावित, LC = कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके व्यक्ति,

			Dw = बौनापन (ड्वार्फिज्म), AAV = एसिड अटैक पीड़ित, MDy = मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (रीढ़ की हड्डी की विकृति (SD) / रीढ़ की हड्डी की चोट (SI), जिसमें अंगों की कार्यक्षमता पर कोई असर न पड़ा हो,उन्हें OA, OL, BA, BL, OAL, BLOA और BLA की संबंधित उप-श्रेणियों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा) रीढ़ की हड्डी की विकृति (SD) - जिसमें कोई न्यूरोलॉजिकल या अंगों की कार्यक्षमता संबंधी समस्या न हो (अंग की शिथिलता)
		श्रेणी (डी)	SLD = विशिष्ट अधिगम अक्षमता MI = मानसिक बीमारी
		श्रेणी (ई)	MD = एकाधिक दिव्यांगता (उपरोक्त (ए) से (डी) शामिल है)
अधिकारी ग्रेड 'ए / बी' (सहायक प्रबंधक / प्रबंधक) [सिस्टम / आईटी स्ट्रीम	एस-बैठना डब्ल्यू-चलना, आरडब्ल्यू-पढ़ना और लिखना, SE-देखना C - संचार, एमएफ- उंगलियों से हेरफेर	श्रेणी (ए)	B = अंधापन LV = कम दृष्टि
		श्रेणी (बी)	D = बहरापान HH = सुनने में कठिनाई
		श्रेणी (सी)	OA = एक हाथ प्रभावित, OL = एक पैर प्रभावित, BA = दोनों हाथ प्रभावित, BL = दोनों पैर प्रभावित, OAL = एक हाथ और एक पैर प्रभावित, CP = सेरेब्रल पाल्सी, LC = कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके व्यक्ति, Dw = बौनापन (ड्वार्फिज्म), AAV = एसिड अटैक पीड़ित,
		श्रेणी (डी)	ASD(M)= ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (हल्का) MI= मानसिक बीमारी
		श्रेणी (ई)	MD = एकाधिक दिव्यांगता (उपरोक्त (ए) से (डी) शामिल है)

दिव्यांगजनों के लिए स्क्राइब (लिखनेवाला)और प्रतिपूरक समय के उपयोग हेतु दिशानिर्देश

(ए) 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति: दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों जिनकी लिखने की गति किसी भी कारण से स्थायी रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, वे ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अपने व्यय पर नीचे (सी) और (ए) पर दी गई सीमा के अधीन अपने लेखक का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे सभी मामलों में जहां लेखक का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

(i) दृष्टिहीनता, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों हाथ प्रभावित - BA) और सेरेब्रल पाल्सी जैसी बेंचमार्क दिव्यांगता ओं वाले व्यक्ति/प्रत्याशी , यदि चाहें तो, एक 'स्क्राइब' (लिखने में मदद करने वाले व्यक्ति) की सुविधा ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र या यूडीआईडी कार्ड दिखाना होगा। 'परिशिष्ट ।' में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार, इसके लिए किसी अलग मेडिकल प्रमाण-पत्र को दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) मानक दिव्यांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में, 'स्क्राइब' (लिखने में सहायता करने वाले व्यक्ति) की सुविधा दी जा सकती है। इसके लिए, किसी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस प्रमाण पत्र में यह उल्लेख होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति को शारीरिक सीमाओं के कारण लिखने में कठिनाई है, और परीक्षा देने के लिए उसकी ओर से किसी 'स्क्राइब' की आवश्यकता है। यह प्रमाण पत्र 'परिशिष्ट-I' में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार होना चाहिए।

(iii) अभ्यर्थी को अपने स्वयं के खर्च पर स्वयं अपने लिए लेखक की व्यवस्था करनी होगी।

(iv) अभ्यर्थी द्वारा व्यवस्था किए गए लेखक उसी परीक्षा के लिए अभ्यर्थी नहीं होने चाहिए। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो अभ्यर्थी और लेखक दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा में लेखक की सेवाओं का उपयोग करने के इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसे सावधानीपूर्वक इंगित करना चाहिए। बाद में प्राप्त किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(v) अभ्यर्थी के लिए लेखक के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति दूसरे अभ्यर्थी के लिए लेखक नहीं हो सकता है।

(vi) लेखक किसी भी शैक्षणिक धारा का हो सकता है। हालांकि, "सामान्य" के अलावा अन्य विषयों में पदों के लिए, लेखक को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक संवर्ग से अलग होना चाहिए।

(vii) अभ्यर्थी और साथ ही लेखक दोनों को एक उपयुक्त वचनपत्र देना होगा जो पुष्टि करता है कि लेखक ऊपर वर्णित एक लेखक के लिए सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। इसके अलावा यदि बाद में यह पता चलता है कि उसने किसी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया है या महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है, तो ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार / अंतिम परिणाम के बावजूद, अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(viii) वे अभ्यर्थी जो लेखक का उपयोग करते हैं, परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए या अन्यथा परामर्श के अनुसार 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे। दिव्यांगजन प्रत्याशियों को, जिनकी टाइपिंग/लेखन में शारीरिक सीमा है, जिसमें गति भी शामिल है, परीक्षा के लिए प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा, चाहे वे लेखक की सुविधा का लाभ उठा रहे हों या नहीं।

(ix) लेखक को स्वयं उत्तर नहीं देना चाहिए। इस तरह के किसी भी व्यवहार को देखने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(x) प्रतिपूरक समय के लिए केवल पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही छूट की अनुमति दी जाएगी क्योंकि अभ्यर्थियों को दिया गया प्रतिपूरक समय सिस्टम आधारित होगा। परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के लिए किसी को ऐसे समय की अनुमति देना संभव नहीं होगा यदि वह इसके लिए पंजीकृत नहीं है। प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत नहीं किए गए अभ्यर्थियों को ऐसी रियायतों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xi) अभ्यर्थियों को केवल तभी लेखक / प्रतिपूरक समय का उपयोग करने का विकल्प चुनना चाहिए जब वे इस संबंध में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत भारत सरकार के नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार इन सेवाओं / रियायतों का लाभ उठाने के लिए पात्र हों।

(xii) लेखक को भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन एफ.नंबर 16-110/2003-डीडीआईआईआई दिनांक 26 फरवरी, 2013 के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

परीक्षा के दौरान, किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि लेखक स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। एक लेखक की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को भी रद्द कर दिया जाएगा यदि यह परीक्षण प्रशासक कर्मियों द्वारा परीक्षा के बाद रिपोर्ट किया जाता है कि लेखक ने स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब दिए।

बी. 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति: पीडब्ल्यूबीडी प्रत्याशियों (जिनकी दिव्यांगता 40% या अधिक है) पर लागू निर्देशों के अतिरिक्त, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत आने वाले निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित नियम लागू होंगे, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के तहत नहीं आते हैं, यानी 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति:

(i) लिखने में कठिनाई वाले व्यक्तियों को ही लेखन सहायक और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि उन्हें इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में कठिनाई होती है और परिशिष्ट । में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से उनकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए लेखन सहायक आवश्यक है।

(ii) लेखक की योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए। स्वयं लेखक चुनने वाले अभ्यर्थी को **परिशिष्ट II** में दिए गए प्ररूप के अनुसार अपने लेखक का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(सी) लोकोमोटर दिव्यांगता और सेरेब्रल पाल्सी वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

उन गतिक अक्षमता लोकोमोटर डिसैबिलिटी और सेरेब्रल पाल्सी वाले अभ्यर्थियों को क्षतिपूरक 20 मिनट अथवा अन्यथा सूचित किए गए अनुसारक्षतिपूरक समयावधि की अनुमति होगी जहां प्रभावशाली (लेखन) इतनी अधिक सीमा तक प्रभावी होता हो की कार्य-निष्पादन (न्यूनतम 40 % हानि) तक धीमा हो जाता हो ।

(डी) दृष्टि-बाधित अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश

दृष्टिबाधित अभ्यर्थी (जो 40% से कम दिव्यांगता से ग्रस्त नहीं हैं) परीक्षा की विषय-वस्तु को बड़े अक्षरों में देखने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे सभी अभ्यर्थी प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का प्रतिपूरक समय या परीक्षा की सूचना के अनुसार अन्य समय के लिए पात्र होंगे।

नोट: केवल बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति ही आरक्षण के लिए पात्र होंगे। "बेंचमार्क दिव्यांगता " का अर्थ एक निर्दिष्ट दिव्यांगता के 40% से कम नहीं है, जहां निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति शामिल हैं, जहां दिव्यांगता को मापने योग्य अवधि में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है। एक व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है, उसे भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रमाण पत्र सत्यापन / पुन: सत्यापन के अधीन होगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाए।

ये दिशानिर्देश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों, (यदि कोई हों), के अनुसार परिवर्तित किए जा सकते हैं।

(iii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण

(क) ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं और जिनके परिवार की सकल वाषक आय 8.00 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित किया जाना है।

(**ख)** आय में सभी स्रोतों से आय शामिल होगी अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, जीविका आदि और यह आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए आय होगी। इसके अलावा जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है उन्हें परिवार की आय के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हांकित होने से बाहर रखा जाएगा:

i. 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि ।
ii. 1000 वर्ग फुट और उससे ऊपर के आवासीय फ्लैट।
iii. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
iv. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

(ग) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" द्वारा धारित संपत्ति को जोड़ा जाएगा।

(घ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र के प्रस्तुति पर लिया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र को केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन /साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन / साक्षात्कार की प्रक्रिया के लिए उपस्थित होने के समय भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षित प्रमाण पत्र लाना होगा।

(ड.) इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता, और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहनों के साथ-साथ उसके पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल होंगे।

(च) इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया जाएगा।

अस्वीकरण: ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अस्थायी हैं और भारत सरकार के आगामी निर्देशों और किसी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं।

ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो तो, के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।

6 चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में तीन चरण शामिल होंगे: चरण I (पेपर I), एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग / वस्तुनिष्ठ परीक्षा जिसमें 60 अंकों का एक पेपर होता है; चरण II, जिसमें पेपर II (अंग्रेजी वर्णनात्मक) और पेपर III (संवर्ग-विशिष्ट उद्देश्य और व्यक्तिपरक) शामिल हैं, जिसमें कुल 200 अंक होते हैं; और चरण III, 100 अंकों का साक्षात्कार होने के नाते, जिसमें पाठ्येतर गतिविधियों (अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य / विश्वविद्यालय / जिला / संस्थागत / अन्य स्तर) में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए अंक भी शामिल होंगे, जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होंगे। चरण I (पेपर I) और चरण II (पेपर II और III) एक ही दिन एक ही बैठक में आयोजित किए जाएंगे। चरण II (पेपर II और III) का मूल्यांकन केवल उन प्रत्याशियों के लिए किया जाएगा जो बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक हासिल करके चरण I (पेपर I) को अर्हता प्राप्त करते हैं। परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा

चरण I (पेपर I): वस्तुनिष्ठ परीक्षा						
क्र. सं.	**परीक्षा का नाम**	**परीक्षा का प्रकार**	**प्रश्नों की संख्या**	**अधिकतम अंक**	**समय**	**टिप्पणी**
1	रीज़निंग एप्टीट्यूड	वस्तुनिष्ठ	15	15	15 मिनट	द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेज़ी
2	अंग्रेज़ी भाषा	वस्तुनिष्ठ	15	15	15 मिनट	
3	क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड	वस्तुनिष्ठ	15	15	15 मिनट	
4	सामान्य जागरूकता (बैंकिंग और	वस्तुनिष्ठ	15	15	15 मिनट	

	वित्तीय क्षेत्र, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों तथा कंप्यूटर ज्ञान पर विशेष ध्यान देते हुए)					(अंग्रेज़ी भाषा की परीक्षा को छोड़कर)
PP	कुल		60	60	60 मिनट	

चरण II: वस्तुनिष्ठ + वर्णनात्मक परीक्षा

क्र. सं.	**परीक्षा का नाम**	**परीक्षा का प्रकार**	**प्रश्नों की संख्या**	**अधिकतम अंक**	**समय**	**टिप्पणी**
Paper II	अंग्रेज़ी भाषा	ऑनलाइन वर्णनात्मक - उत्तर कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप करने होंगे	3	75	60	**लागू नहीं**
Paper III	संवर्ग विशिष्ट	ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ (द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेज़ी)	50#	75	60 मिनट	**लागू नहीं**
		ऑनलाइन वर्णनात्मक - उत्तर कीबोर्ड का उपयोग करके अंग्रेज़ी या हिंदी (रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड) में टाइप करने होंगे	10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से प्रत्याशियों को 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे [15-15 अंकों के 2 प्रश्न (कठिनाई स्तर के साथ) और 10-10 अंकों के 2 प्रश्न]	50	60	**लागू नहीं**

कुछ प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और कुछ प्रश्न 1-1 अंक के होंगे।

चरण - II परीक्षा

(क) सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' (सामान्य संवर्ग)

प्रश्नपत्र	परीक्षा का नाम	प्रश्नपत्र का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि
प्रश्नपत्र II	अंग्रेजी भाषा निबंध, सार लेखन, अपठित गद्यान्श एवं व्यवसायिक/कार्यालयीन पत्राचार। अंग्रेजी का प्रश्नपत्र इस प्रकार तैयार किया जाएगा, ताकि विषय की अभिव्यक्ति व उसकी समझ सहित, लेखन कौशल का आकलन किया जा सके। **नोट:** उक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।	ऑनलाइन वर्णनात्मक- कीबोर्ड का उपयोग करते हुए टाइप करके उत्तर दिए जाने हैं। (रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड)	**3**	**75**	60 मिनट
प्रश्नपत्र III	एमएसएमई: नीति, नियामक एवं कानूनी फ्रेमवर्क; वित्त एवं प्रबंधन (एमएसएमई पर फोकस करते हुए), एमएसएमई को वित्तीय सहायता (सम्यक परिश्रम/ड्यू डिलीजेंस/केवाईसी, वित्तीय अनुपात, सावधि ऋण (टर्मलोन)/कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) का आकलन, दस्तावेजी क्रेडिट आदि, आईआरएसी मानकों सहित एनपीए एवं वसूली, एनबीएफसी वित्तीयन, ऋण जोखिम आकलन आदि। निवेश बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, इक्विटी, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों	ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ (द्विभाषी अर्थात्, हिंदी और अंग्रेजी में)	**50#**	**75**	60 **मिनट**
		ऑनलाइन वर्णनात्मक – अंग्रेजी या हिंदी में कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किए जाने वाले उत्तर (रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड)	10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से प्रत्याशियों को 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे [15 अंक प्रतिप्रश्न के 2 प्रश्न (कठिनाई स्तर के साथ) और 10 अंक प्रतिप्रश्न के 2 प्रश्न]	**50**	**60 मिनट**

	(एआरसी), भारत में एमएसएमई के संवर्धन और विकास से संबंधित प्रश्न। **नोट: उक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।**				

कुछ प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और कुछ प्रश्न 1-1 अंक के होंगे।

(ख) सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' (ब्रांडिंग और संचार स्ट्रीम)

प्रश्नपत्र	परीक्षा का नाम	प्रश्नपत्र का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि
प्रश्नपत्र **II**	अंग्रेजी भाषा निबंध, सार लेखन एवं अपठित गद्यान्श व्यवसायिक/कार्यालयीन पत्राचार। अंग्रेजी का प्रश्नपत्र इस प्रकार तैयार किया जाएगा, ताकि विषय की अभिव्यक्ति व उसकी समझ सहित, लेखन कौशल का आकलन किया जा सके। **नोट: उक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।**	ऑनलाइन वर्णनात्मक- कीबोर्ड का उपयोग करते हुए टाइप करके उत्तर दिए जाने हैं। (रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड)	**3**	**75**	60 मिनट
प्रश्नपत्र **III**	ब्रांड प्रबंधन, कॉर्पोरेट संचार, जनसंपर्क, मीडिया संबंध, सामग्री विकास, सोशल मीडिया प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग,	ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ (द्विभाषी अर्थात्, हिंदी और अंग्रेजी में)	**50#**	**75**	60 **मिनट**

	एसईओ, वेबसाइट प्रबंधन, विज्ञापन, इवेंट मैनेजमेंट, हितधारक जुड़ाव, मार्केटिंग एनालिटिक्स, सीआरएम, सीएमएस, मार्टेक, संचार में एआई, प्रतिष्ठा प्रबंधन, और ब्रांडिंग, मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग में वर्तमान विकास। **नोट: उपरोक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।**	ऑनलाइन वर्णनात्मक – अंग्रेजी या हिंदी में कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किए जाने वाले उत्तर (रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड)	10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से प्रत्याशियों को 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे [15 अंक प्रतिप्रश्न के 2 प्रश्न (कठिनाई स्तर के साथ) और 10 अंक प्रतिप्रश्न के 2 प्रश्न]	**50**	**60 मिनट**

कुछ प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और कुछ प्रश्न 1-1 अंक के होंगे।

(ग) प्रबंधक ग्रेड 'बी' (सामान्य संवर्ग)

प्रश्नपत्र	परीक्षा का नाम	प्रश्नपत्र का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि
प्रश्नपत्र II	अंग्रेजी भाषा निबंध, सार लेखन, अपठित गद्यान्श एवं व्यवसायिक/कार्यालयीन पत्राचार। अंग्रेजी का प्रश्नपत्र इस प्रकार तैयार किया जाएगा, ताकि विषय की अभिव्यक्ति व उसकी समझ सहित, लेखन कौशल का आकलन किया जा सके। ***नोट: उक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।***	ऑनलाइन वर्णनात्मक- कीबोर्ड का उपयोग करते हुए टाइप करके उत्तर दिए जाने हैं। (रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड)	**3**	**75**	60 मिनट

प्रश्नपत्र **III**	एमएसएमई और विकास वित्त; क्रेडिट मूल्यांकन और ऋण जोखिम प्रबंधन; क्रेडिट उत्पाद डिजाइन, विकास और जीवनचक्र प्रबंधन; क्रेडिट नीति निर्माण और कार्यान्वयन; बैंकिंग विनियम, अनुपालन और शासन; डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक और डिजिटल ऋण; उत्पाद प्रलेखन, एसओपी और प्रक्रिया डिजाइन; डेटा एनालिटिक्स, एमआईएस, उत्पाद प्रदर्शन और प्रभाव मूल्यांकन; वित्तीय विश्लेषण, लाभप्रदता और मूल्य निर्धारण; विपणन, उत्पाद अपनाना और ग्राहक जुड़ाव; परियोजना प्रबंधन, चुस्त कार्यप्रणाली और हितधारक प्रबंधन; सरकारी योजनाएं, क्रेडिट गारंटी, पुनर्वित्त और विकास कार्यक्रम। **नोट: उपरोक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।**	ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ (द्विभाषी अर्थात्, हिंदी और अंग्रेजी में)	**50#**	**75**	60 **मिनट**
		ऑनलाइन वर्णनात्मक – अंग्रेजी या हिंदी में कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किए जाने वाले उत्तर (रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड)	10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से प्रत्याशियों को 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे [15 अंक के 2 प्रश्न (कठिनाई स्तर के साथ) और 10 अंक के 2 प्रश्न]	**50**	**60 मिनट**

कुछ प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और कुछ प्रश्न 1-1 अंक के होंगे।

(घ) सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए'(हिंदी स्ट्रीम) और प्रबंधक ग्रेड 'बी'(हिंदी स्ट्रीम)

प्रश्नपत्र	परीक्षा का नाम	प्रश्नपत्र का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि

प्रश्नपत्र II	अंग्रेजी भाषा निबंध, सार लेखन, अपठित गद्यान्श एवं व्यवसायिक/कार्यालयीन पत्राचार। अंग्रेजी का प्रश्नपत्र इस प्रकार तैयार किया जाएगा, ताकि विषय की अभिव्यक्ति व उसकी समझ सहित, लेखन कौशल का आकलन किया जा सके। **नोट: उक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।**	ऑनलाइन वर्णनात्मक-कीबोर्ड का उपयोग करते हुए टाइप करके उत्तर दिए जाने हैं। (रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड)	3	75	60 मिनट
प्रश्नपत्र III	राजभाषा नीति एवं उसका कार्यान्वयन, राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976, अनुवाद (अंग्रेजी से हिन्दी एवं हिन्दी से अंग्रेजी), बैंकिंग एवं वित्तीय पारिभाषिक शब्दावली, हिन्दी प्रारूपण एवं सरकारी पत्राचार, हिन्दी में टिप्पणी एवं मसौदा लेखन, प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुवाद, राजभाषा अनुपालन एवं निरीक्षण, संसदीय राजभाषा समिति, हिन्दी प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार, द्विभाषी दस्तावेजों एवं प्रकाशनों की तैयारी, बैंकिंग कार्यों में हिन्दी का प्रयोग, डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं वेबसाइट का हिन्दीकरण, हिन्दी में कम्प्यूटर अनुप्रयोग, अनुवाद उपकरण एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित भाषा प्रौद्योगिकी, हिन्दी में हितधारक संचार तथा राजभाषा नीति एवं उसके कार्यान्वयन से संबंधित समसामयिक विषय।	ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ (द्विभाषी अर्थात्, हिंदी और अंग्रेजी में)	50#	75	60 मिनट
		ऑनलाइन वर्णनात्मक – अंग्रेजी या हिंदी में कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किए जाने वाले उत्तर (रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड)	10 प्रश्न पूछे जाएँगे, जिनमें से प्रत्याशी को 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे [2 प्रश्न 15-15 अंक के होंगे (कठिनाई स्तर के साथ) तथा 2 प्रश्न 10-10 अंक के होंगे]	50	60 मिनट

कुछ प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और कुछ प्रश्न 1-1 अंक के होंगे।

नोट: ग्रेड 'ए' और ग्रेड 'बी' में प्रश्नों की कठिनाई का स्तर भिन्न हो सकता है।

(ङ) सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' (विधि संवर्ग) और प्रबंधक ग्रेड 'बी' (विधि संवर्ग)

प्रश्नपत्र	परीक्षा का नाम	प्रश्नपत्र का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि
प्रश्नपत्र II	अंग्रेजी भाषा निबंध, सार लेखन, अपठित गद्यान्श और व्यवसायिक/कार्यालयीन पत्राचार। अंग्रेजी का प्रश्नपत्र इस प्रकार तैयार किया जाएगा, ताकि विषय की अभिव्यक्ति व उसकी समझ सहित, लेखन कौशल का आकलन किया जा सके। ***नोट: उक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।***	ऑनलाइन वर्णनात्मक	**3**	**75**	**60 मिनट**
प्रश्नपत्र **III**	विधि का सामान्य ज्ञान: संवैधानिक विधि, प्रशासनिक विधि, सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत, करार अधिनियम, 1872, संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम, 1882, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, पंजीकरण अधिनियम, 1908, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, विधिक प्रारूपण, आरडीबी अधिनियम, 1993, एसएआरएफएईएसआई, 2002, आरटीआई अधिनियम 2005, लिमिटेशन अधिनियम, 1963, आईबीसी 2016 आदि। नोट: ***उक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।***	ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ (द्विभाषी अर्थात्, हिंदी और अंग्रेजी में)	**50#**	**75**	60 **मिनट**
		ऑनलाइन वर्णनात्मक – अंग्रेजी या हिंदी में कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किए जाने वाले उत्तर (रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड)	**10 प्रश्न पूछे जाएँगे, जिनमें से प्रत्याशी को 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे [2 प्रश्न 15-15 अंक के होंगे (कठिनाई स्तर के साथ) तथा 2 प्रश्न 10-10 अंक के होंगे]**	**50**	**60 मिनट**

कुछ प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और कुछ प्रश्न 1-1 अंक के होंगे।

(च) सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' (सिस्टम / आईटी संवर्ग) और प्रबंधक ग्रेड 'बी' (सिस्टम / आईटी संवर्ग)

प्रश्नपत्र	परीक्षा का नाम	प्रश्नपत्र का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि
प्रश्नपत्र II	अंग्रेजी भाषा निबंध, सार लेखन, अपठित गद्यान्श और व्यवसायिक/कार्यालयीन पत्राचार। अंग्रेजी का प्रश्नपत्र इस प्रकार तैयार किया जाएगा, ताकि विषय की अभिव्यक्ति व उसकी समझ सहित, लेखन कौशल का आकलन किया जा सके। नोट: ***उक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।***	ऑनलाइन वर्णनात्मक- कीबोर्ड का उपयोग करते हुए टाइप करके उत्तर दिए जाने हैं। (रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड)	**3**	**75**	60 मिनट
प्रश्नपत्र **III**	सॉफ्टवेयर का परिचय, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, डेटा संरचना, 'सी', 'सी++', 'जावा' और 'पायथन' में फाइल संरचना एवं प्रोग्रामिंग, सिस्टम विश्लेषण एवं डिजाइन के तत्व, अंकीय एवं सांख्यिकीय कंप्यूटिंग, डेटा कम्यूनिकेशन एवं नेटवर्क, कंप्यूटर आर्किटैक्चर एवं नेटवर्क आर्किटैक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, आरटीबीएमएस सहित डाटाबेस प्रबंधन सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), मोबाइल कंप्यूटिंग, एल्गोरिदम्स का डिजाइन एवं विश्लेषण, एआई, एमएल एवं नेचरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बुनियादी जानकारी, साइबर/आईटी सुरक्षा, बिग डेटा एनालिटिक्स, डेटा मॉडलिंग एवं रिपोर्टिंग टूल्स का उपयोग करते हुए डेटा विजुएलाइजेशन का एनालिटिक्स कॉन्सेप्ट, क्रॉस यूजर इंटरेक्शन एवं डेटा एक्सचेंज के लिए एपीआई उपयोग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट आदि. ***नोट: उक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।***	ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ @ (द्विभाषी अर्थात्, हिंदी और अंग्रेजी में)	50#	**75**	60 मिनट
		ऑनलाइन वर्णनात्मक- कीबोर्ड का उपयोग करते हुए टाइप करके उत्तर दिए जाने हैं। (रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड)	इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से प्रत्याशी को 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे [2 प्रश्न 15-15 अंक के होंगे (कठिनाई स्तर के साथ) और 2 प्रश्न 10-10 अंक के होंगे]	**50**	**60** मिनट

कुछ प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और कुछ प्रश्न 1-1 अंक के होंगे।

@ पैराग्राफ आधारित/संख्यात्मक/अनुप्रयोग आधारित व्याख्यात्मक प्रश्न

कुछ प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और कुछ प्रश्न 1-1 अंक के होंगे।

नोट- सभी स्ट्रीम/ग्रेड के लिए एक-समान: -

- उक्त पाठ्यक्रम उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है। परीक्षा की तैयारी करते समय उक्त पाठ्यक्रम को सूचना का एकमात्र स्रोत नहीं माना जाना चाहिए। परीक्षा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, संबंधित विषय के दायरे में आने वाले सभी मामलों का प्रत्याशी द्वारा अध्ययन किया जाना होगा क्योंकि विषय के तहत सभी प्रासंगिक मामलों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले प्रत्याशियों को उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी स्वयं को तैयार करना चाहिए जो उक्त विषय (विषयों) के तहत होने वाले वर्तमान/नवीनतम विकास/क्रिया-कलापों पर पूछे जा सकते हैं, हालांकि उन विषयों को विशेष रूप से पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया हो।

- सभी प्रश्नपत्र (अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी वर्णनात्मक परीक्षण के परीक्षण को छोड़कर) अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध कराए जाएँगे।

- सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए, पाँच उत्तरों में से, केवल एक ही सही उत्तर होगा। प्रत्याशी को सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना होगा और उस विकल्प को 'माउस क्लिक' करना होगा, जो आपको उचित / सही लगता है। प्रत्याशी ने जिस उत्तर/विकल्प पर क्लिक किया है, उसे उस प्रश्न के उत्तर के रूप में माना जाएगा। **वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों के लिए, प्रत्याशियों द्वारा चिह्नित गलत उत्तरों के लिए दंड होगा। प्रत्याशी द्वारा चिह्नित प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 1/4 भाग दंड के रूप में काटा जाएगा।**

<u>ऑनलाइन परीक्षा के कुल प्राप्तांक निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाकर निर्धारित किए जाएँगे:</u>

(i) प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में किसी प्रत्याशी द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या को गलत उत्तरों का दंड लगाने के बाद, सही स्कोर निर्धारित किया जाता है।
(ii) एक प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए सही अंकों को समतुल्य स्कोर पर पहुंचने के लिए विभिन्न सत्रों (यदि आवश्यक हो) में आयोजित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में कठिनाई स्तर में मामूली अंतर, यदि कोई हो, का ध्यान रखने के लिए समकक्ष बनाया जाता है। *

*(*किसी भी परीक्षा में प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों को सभी रूपों के अंकों के वितरण पर विचार करके आधार रूप के बराबर माना जाता है।)।*

(iii) टेस्टवार स्कोर और कुल स्कोर दो अंकों तक दशमलव अंकों के साथ रिपोर्ट किए जाते हैं.

नोट: कट-ऑफ दो चरणों में लागू किया जाएगा :
(i) व्यक्तिगत परीक्षणों में स्कोर पर
(ii) कुल स्कोर पर (अर्हता / मेरिट के लिए अलग से))

- चरण-I (अनुभागीय और कुल) और चरण-II (अनुभागीय और कुल) में ऑनलाइन परीक्षा के लिए कट-ऑफ प्रत्याशियों द्वारा बनाए गए अंकों के माध्य/मानक विचलन/समूह मानदंडों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

- प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षण, कुल वस्तुनिष्ठ परीक्षण और वर्णनात्मक परीक्षा में विभिन्न अर्ह कट-ऑफ अंक सिडबी द्वारा निर्धारित किए जाएँगे। ऑनलाइन वर्णनात्मक परीक्षण के प्रश्न आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। उत्तर कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किए जाने हैं। ऑनलाइन वर्णनात्मक परीक्षण में प्रश्नों के उत्तर टाइप करने से पहले कृपया इसकी जाँच कर लें कि कीबोर्ड ठीक तरह से कार्य कर रहा है, कीबोर्ड के सभी की-फंक्शन पहले ही चेक कर लें।

- चूँकि रिक्तियाँ ग्रेड-वार / संवर्ग-वार निर्धारित की गई हैं, इसलिए प्रत्येक चरण के लिए प्रत्याशियों की योग्यता सूची ग्रेड-वार / संवर्ग-वार तैयार की जाएगी।

- प्रत्याशियों को साइकोमेट्रिक असेसमेंट/इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने के लिए प्रत्येक टेस्ट/सेक्शन में न्यूनतम स्कोर प्राप्त करना होगा और चरण-II परीक्षा में न्यूनतम कुल स्कोर भी प्राप्त करना होगा। प्रत्याशियों को रिक्तियों की संख्या, प्रत्येक परीक्षा में कट-ऑफ और बैंक द्वारा तय किए गए चरण-II परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी होने से पहले, ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों को साक्षात्कार के लिए चुने गए प्रत्याशियों के साथ साझा नहीं किया जाएगा।

- सभी पद / ग्रेड के लिए 100 अंकों का साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा, [जिसमें पाठ्येतर गतिविधियों (अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य / विश्वविद्यालय / जिला / संस्थागत / अन्य स्तर) में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए अंक शामिल होंगे, दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन]। प्रत्याशी हिंदी या अंग्रेजी में साक्षात्कार का विकल्प चुन सकते हैं। बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार से साक्षात्कार में न्यूनतम योग्यता मानदंड निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- **चरण-II** की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने (क्वालिफाई करने) के लिए बुलावा-अनुपात (कॉलिंग रेशियो) अधिकतम 1:25 होगा। बैंक के विवेकाधिकार के अनुसार इस अनुपात को उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। सिडबी द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार अर्हता प्राप्त करने वाले और पर्याप्त रूप से उच्च रैंक करने वाले प्रत्याशियों को **चरण- II** परीक्षा और साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा। प्रत्याशी द्वारा चिह्नित गलत उत्तरों के लिए दांडिक अंक काटे जाएंगे।
- ऑनलाइन परीक्षण के वस्तुनिष्ठ भाग में चिह्नित प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस प्रश्न को दिए गए अंकों के 1/4 अंकों को चरण-1 और **चरण-2** दोनों में, दंड के रूप में काटा जाएगा।

- केवल ऐसे प्रत्याशी जो **चरण-2** परीक्षा में न्यूनतम कट-ऑफ अंक या उससे अधिक स्कोर करते हैं, उन्हें साक्षात्कार के लिए चुना जाएगा / शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

- एक-समान अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों के मामले में, उनकी रैंकिंग/क्रम निम्नानुसार तय किया जाएगा :

  i. समग्रत: (अर्थात् चरण-II परीक्षा और साक्षात्कार, दोनों को जोड़ कर) एक-समान प्राप्तांक वाले प्रत्याशियों में, **चरण-II** परीक्षा में उच्च अंक वाले प्रत्याशी को उच्च रैंक दिया जाएगा।
  ii. **चरण-II** परीक्षा में एक-समान अंक रखने वाले प्रत्याशियों के मामले में, आयु में वरिष्ठ प्रत्याशी को उच्च रैंक दिया जाएगा।
  iii. यदि इसके बाद भी आगे एक-समान अंक / टाई-अप होता है, तो उच्च योग्यता वाले प्रत्याशी या समान योग्यता के मामले में, स्नातक स्तर की पढ़ाई में उच्च अंक वाले प्रत्याशी को उच्च रैंक दिया जाएगा।

नोट: ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अन्य आवेदकों की मदद लेने वाले आवेदकों की संभावना पर काबू पाने के लिए, बैंक सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए अन्य उपस्थित आवेदकों के साथ चरण- II परीक्षा में

आवेदकों के जवाबों का विश्लेषण करेगा। इस तरह के विश्लेषण के आधार पर, यदि यह संदेह है कि उत्तर साझा किए गए हैं और प्राप्त अंक वास्तविक/वैध नहीं हैं, तो बैंक संदिग्ध आवेदकों की उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसलिए आवेदकों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में किसी भी अनुचित व्यवहार में शामिल न हों।

सिडबी परीक्षा की संरचना को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे सिडबी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। परीक्षा के बारे में अन्य विस्तृत जानकारी एक सूचना हैंडआउट में दी जाएगी, जिसे प्रत्याशियों के लिए सिडबी की वेबसाइट- www.sidbi.in से कॉल लेटर के साथ डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

7. भर्ती पूर्व प्रशिक्षण (पीआरटी)

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी/अ.पि.व. प्रत्याशियों के लिए भर्तीपूर्व प्रशिक्षण (पीआरटी) आयोजित किया जाएगा। तदनुसार, उन इच्छुक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी/ओबीसी प्रत्याशियों के लिए पीआरटी आयोजित की जाएगी, जिनके आवेदन सिडबी द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार पात्र पाए जाते हैं। पीआरटी ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। जो प्रत्याशी प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि प्रशिक्षण प्राप्त करने से प्रत्याशी को परीक्षा के लिए या सिडबी की सेवा में भर्ती के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।
कृपया यह भी ध्यान दें कि, केवल पीआरटी में भाग लेने से कोई भी प्रत्याशी सिडबी में चयनित होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता है।

8. ऑनलाइन परीक्षा :

ऑनलाइन परीक्षा (चरण-I / चरण-II) पूरे भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की अस्थायी सूची परिशिष्ट-III में उपलब्ध है।

(i) प्रत्याशियों को ऑनलाइन आवेदनपत्र में ऑनलाइन परीक्षा के लिए अपने पसंदीदा केंद्र को इंगित करना होगा।

(ii) संबंधित कॉल लेटर में दिए गए स्थानों पर परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। कृपया परीक्षा के लिए अपने केंद्र की जाँच करें, क्योंकि कार्यालयीन सुविधा के कारण इसे बदला जा सकता है।

(iii) परीक्षा के लिए केंद्र/स्थान/तिथि/सत्र के परिवर्तन के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) सिडबी, प्रतिक्रिया, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर अपने विवेक से किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और/या कुछ अन्य केंद्रों को जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(v) सिडबी, प्रत्याशी को उसके द्वारा चुने गए केंद्र के अलावा, किसी भी अन्य केंद्र को आवंटित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

(vi) प्रत्याशी, अपने जोखिम और व्यय पर किसी परीक्षा केंद्र में परीक्षा के लिए उपस्थित होगा और सिडबी किसी भी प्रकृति की चोट या हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(vii) प्रत्याशी को एक बार अपनी पसंद का केंद्र चुन लेने के बाद उसे बदलने का अधिकार नहीं होगा।

यदि पर्याप्त संख्या में प्रत्याशियों द्वारा "ऑनलाइन" परीक्षा के लिए किसी विशेष केंद्र का विकल्प नहीं चुना जाता है, तो सिडबी उन प्रत्याशियों को किसी अन्य निकटवर्ती केंद्र को आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है या यदि प्रत्याशियों की संख्या किसी केंद्र के लिए ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपलब्ध क्षमता से अधिक है, तो सिडबी प्रत्याशियों को कोई अन्य केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, तो विभिन्न सत्रों के स्कोर को, सत्रों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न परीक्षण बैटरी के कठिनाई स्तर में मामूली अंतर के लिए समायोजित करने के लिए बराबर किया जाएगा। यदि किसी भी केंद्र पर या किसी प्रत्याशी के लिए नोड्स की क्षमता कम है या कुछ तकनीकी व्यवधान होता है तो एक से अधिक सत्रों की आवश्यकता होती है।

9. बुलावा-पत्र/ दस्तावेज/ परीक्षा केंद्र आदि से संबंधित दिशानिर्देश:

जिन प्रत्याशियों को ऑनलाइन चरण-II परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें बाद में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार अनुमानत: 4 केंद्रों अर्थात् चेन्नई, लखनऊ, मुंबई और नई दिल्ली में आयोजित किए जाएँगे। प्रत्याशियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में, साक्षात्कार के लिए अपने पसंदीदा केंद्र को अलग से इंगित करना होगा। हालाँकि, सिडबी प्रतिक्रियाओं, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर, अपने विवेक से किसी भी परीक्षा-केंद्र / साक्षात्कार-केंद्र को निरस्त करने और/या कुछ अन्य केंद्रों को जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सिडबी प्रत्याशी को, उसके द्वारा चुने गए केंद्र के अलावा, अन्य कोई भी केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(i) शॉर्टलिस्ट किए गए/छाँटे गए पात्र प्रत्याशियों को भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण (पीआरटी) / ऑनलाइन परीक्षा(एँ) / साक्षात्कार (जैसा लागू हो) के स्थान की समय, तारीख और पते का विवरण, बुलावा-पत्र (कॉल लैटर), ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) के ऑनलाइन डाउनलोड की सूचना उचित समय पर प्रत्याशियों को भेजी जाएगी। प्रत्याशियों को सिडबी की वेबसाइट www.sidbi.in से, अपनी ऑनलाइन परीक्षा / साक्षात्कार (जो लागू हो) का बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) डाउनलोड करना होगा। प्रत्याशियों को डाक द्वारा या अन्यथा कोई अलग संचार जारी नहीं किया जाएगा। इस संबंध में, अन्य निर्देश, यदि कोई हों, भी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएँगे। प्रत्याशियों को बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) के बिना भर्ती पूर्व प्रशिक्षण / ऑनलाइन परीक्षा (ओं) / साक्षात्कार (जैसा लागू हो) के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन परीक्षा की तारीख के बारे में जानकारी के लिए नियमित अंतराल पर सिडबी की वेबसाइट देखते रहें।

(ii) ऑनलाइन परीक्षा(ओं) / साक्षात्कार (जो लागू हो) के केंद्र, स्थान का पता और समय और तारीख के बारे में, शॉर्टलिस्ट किए गए/छाँटे गए प्रत्याशियों को बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) में सूचित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार (जो लागू हो) की तिथि, केंद्र आदि में परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, ऑनलाइन परीक्षा(परीक्षाओं)/साक्षात्कार (जो लागू हो) की तारीख/स्थान/समय/केंद्र आदि को बदलने या किसी विशेष तिथि/सत्र/स्थल/केंद्र/प्रत्याशियों के सेट के लिए पूरक प्रक्रिया आयोजित करने का अधिकार, अप्रत्याशित परिस्थितियों में, यदि कोई हो, सिडबी के पास सुरक्षित है।

(iii) ऑनलाइन परीक्षा(ओं) / साक्षात्कार (जैसा लागू हो) के लिए उपस्थित होने के दौरान, प्रत्याशी को नीचे दिए गए वैध निर्धारित दस्तावेज़ प्रस्तुत करना चाहिए। दस्तावेज़ों के अभाव में प्रत्याशियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। सिडबी अलग से भेजे गए किसी भी प्रमाण पत्र / प्रेषण / दस्तावेज को प्राप्त करने/जोड़ने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।

साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (जैसा लागू हो)

प्रत्याशी की पात्रता और पहचान की पुष्टि के लिए, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की मूल और सत्यापित छायाप्रतियाँ, साक्षात्कार के समय निरपवाद रूप से प्रस्तुत की जानी हैं, ऐसा न करने पर प्रत्याशी को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। साक्षात्कार के समय प्रत्याशी द्वारा अपेक्षित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत न करने पर उसकी उम्मीदवारी को भर्ती प्रक्रिया में आगे की भागीदारी से रोक दिया जाएगा।

(a) साक्षात्कार हेतु वैध बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) का प्रिंटआउट।

(b) ऑनलाइन आवेदन पत्र का वैध सिस्टम जनरेटेड प्रिंटआउट।

(c) विधिवत् प्रमाणित परीक्षा बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) (आईडी प्रूफ की प्रमाणित प्रति के साथ)। जो प्रत्याशी साक्षात्कार के समय परीक्षा के प्रमाणित/मुद्रांकित बुलावा-पत्र (कॉल लैटर) और आईडी प्रूफ की प्रमाणित/मुद्रांकित फोटोकॉपी नहीं लाते हैं, उन्हें साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(d) जन्म तिथि का प्रमाण (सक्षम नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के साथ एसएसएलसी / कक्षा X का प्रमाण पत्र)

(e) फोटो पहचान प्रमाण, जैसा कि **क्रम संख्या 9 (ix) में दर्शाया गया है।**

(f) क्रम संख्या 9 (x) **में दर्शाए अनुसार स्थायी पते का प्रमाण।**

(g) स्नातक या समकक्ष योग्यता आदि की अंकसूची और प्रमाण पत्र **11 दिसंबर, 2026 को या उससे पहले परिणाम** घोषित करने के लिए बोर्ड/विश्वविद्यालय से उचित दस्तावेज जमा करना होगा।

(h) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस वर्ग के प्रत्याशियों के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्ररूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।

(i) ओबीसी वर्ग से संबंधित प्रत्याशियों के मामले में, प्रमाण पत्र में विशेष रूप से एक खंड होना चाहिए कि प्रत्याशी क्रीमी लेयर सेक्शन से संबंधित नहीं है, जिसे भारत सरकार के तहत सिविल पोस्ट और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के लाभों से बाहर रखा गया है। गैर-क्रीमी लेयर खंड वाले ओबीसी जाति प्रमाण पत्र, साक्षात्कार की तारीख को मान्य होना चाहिए, यदि मांगा जाता है (साक्षात्कार की तारीख से एक वर्ष पहले जारी किया जाता है, यदि मांगा जाता है)। प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति का नाम केंद्र सरकार की सूची/अधिसूचना के साथ अक्षरश: मेल खाना चाहिए। ओबीसी श्रेणी से संबंधित प्रत्याशी, लेकिन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले और / या यदि उनकी जाति को केंद्रीय सूची में दिखाई नहीं देती है, तो वे ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में सामान्य/जनरल के रूप में अपनी श्रेणी दर्शानी चाहिए।

(j) विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के मामले में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र। यदि प्रत्याशी ने ऑनलाइन परीक्षा के समय स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग किया है, तो निर्धारित प्रारूप में स्क्राइब का विवरण विधिवत् भरा जाएगा।

(k) ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित प्रत्याशियों के मामले में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में एक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र।

(l) भूतपूर्व सैनिक प्रत्याशी को साक्षात्कार के समय पेंशन भुगतान आदेश और अंतिम / वर्तमान में धारित रैंक (मूल और साथ ही कार्यवाहक) के दस्तावेजी प्रमाण के साथ, सेवा या डिस्चार्ज बुक की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जो लोग अभी भी रक्षा सेवाओं में हैं, उन्हें किसी सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि उन्हें **11 दिसंबर, 2027 को या उससे पहले रक्षा सेवाओं से मुक्त कर दिया जाएगा**।

(m) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं सहित) में सेवारत प्रत्याशियों को साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसके अभाव में उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। सिडबी के चयन के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। साक्षात्कार के समय सशर्त एनओसी प्रस्तुत किए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे प्रत्याशियों को साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी / आगे चयन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(n) **3.3.(v)** के अंतर्गत आयु में छूट के लिए पात्र व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे सरकार द्वारा स्वीकृत 1984 के दंगा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास पैकेज के संदर्भ में राहत के लिए पात्र हैं और इसे वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा संचार विभाग सं एफ संख्या 9/21/2006 -आईआर दिनांक 27.07.2007 द्वारा मंजूर किया गया है।

(o) **अनुभव प्रमाण पत्र, यदि लागू हो: -** पिछले और / या वर्तमान नियोक्ताओं से अनुभव प्रमाण पत्र / कार्यमुक्ति-पत्र या अनुभव प्रमाण पत्र-सह-कार्यमुक्ति-पत्र में स्पष्ट रूप से पिछले रोजगार(रों) में से प्रत्येक के लिए कार्यारंभ की तारीख और कार्यमुक्ति की तारीख दशाई गई हो। यदि अनुभव प्रमाणपत्र या कार्यमुक्ति-पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो एक वास्तविक अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रत्याशी के अनुभव के साथ-साथ सटीक तिथियाँ, पूरा नाम, पूरा पता और नियोक्ता के टेलीफोन नंबर, विभाग के साथ आयोजित पदनाम के टेलीफोन, संभाले गए कर्तव्यों की प्रकृति / जॉब प्रोफाइल आदि का उल्लेख होता है। पिछले नियोक्ता(ओं) से कोई प्रतिकूल टिप्पणी या प्रत्याशी द्वारा किए गए कदाचार / गलत-व्यवहार संबंधी टिप्पणी के कारण, प्रत्याशी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है और उसकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकेगा। प्रत्याशियों को ***परिशिष्ट -IV*** **में संलग्न प्रारूप के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो, वर्तमान और पिछले नियोक्ताओं से) प्रस्तुत करना होगा।**

(p) बिंदु 4.1 की श्रेणियों (ii), (iii), (iv) और (v) में आने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(q) पात्रता के समर्थन में कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

नोट: - यदि कोई प्रत्याशी ऊपर उल्लिखित प्रासंगिक पात्रता दस्तावेजों प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो ऐसे प्रत्याशियों को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे प्रत्याशियों को यात्रा किराए की प्रतिपूर्ति भी नहीं की जाएगी।

साक्षात्कार से पहले या बाद में प्रत्याशियों द्वारा सिडबी / आईबीपीएस को सीधे कोई दस्तावेज नहीं भेजा जाएगा।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार है (जैसा कि भारत सरकार द्वारा

समय-समय पर अधिसूचित किया गया है):

(v) **अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए:** (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपरउपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं) / तालुक मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे नहीं (iv) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहां प्रत्याशी और उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग *के प्रत्याशियों को भी स्क्रूटनी कमेटी द्वारा जारी वैधता प्रमाण पत्र जमा करना होगा।*

भर्ती में ओबीसी के लिए आरक्षण कार्यालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 08 सितंबर, 1993 के ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थाई एससीटी) द्वारा शासित होता है। (को रूप में, समय-समय पर संशोधित किया गया है। 'क्रीमी लेयर' में आने वाले ओबीसी प्रत्याशी ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें अपनी श्रेणी सामान्य 'जनरल (जेन)' के रूप में इंगित करनी चाहिए। उक्त श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी प्रत्याशियों को ***वित्तीय वर्ष 2025-2026, 2024-2025 और 2023-2024 के लिए आय के आधार पर ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और 01 अप्रैल, 2026 (वित्त वर्ष 2025-26 के पूरा होने के बाद) को जारी*** *किया जाना चाहिए , लेकिन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि के बाद नहीं। प्रत्याशी के पास पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि यानी* ***11 दिसंबर, 2026*** *को/उससे पहले आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्ररूप में अपेक्षित ओबीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए।*

नोट: ओबीसी आवेदकों के लिए, केवल केंद्रीय सूची में शामिल होने वाली जातियों/उप-जातियों पर विचार किया जाएगा। तदनुसार, ओबीसी जाति/उप-जाति संबंधित राज्य सूची में शामिल हैं, लेकिन केंद्रीय सूची (भारत सरकार) में नहीं हैं, उन्हें ओबीसी श्रेणी के तहत नहीं माना जाएगा।

(vi) **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग :(i)** जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त, (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे नहीं होगा और (iv) उप-मंडल अधिकारी या वह क्षेत्र जहां प्रत्याशी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्थावर दिनांक **31 जनवरी, 2019** द्वारा शासित होता है। अस्वीकरण: "ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अस्थायी हैं और भारत सरकार के आगे के निर्देशों और किसी भी मुकदमेबाजी के परिणाम के अधीन हैं। नियुक्ति अनंतिम है और उचित चैनलों के माध्यम से आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्ररूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी "आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है और वर्ष **2026-27 के लिए वैध है। प्रत्याशी के पास पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि यानी 11 दिसंबर, 2026 को/उससे पहले आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्ररूप में अपेक्षित आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए।**

(vii) बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए: अधिकृत प्रमाणन प्राधिकरण जिला स्तर पर मेडिकल बोर्ड होगा जिसमें

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिले में उप-मंडल चिकित्सा अधिकारी और एक आर्थोपेडिक/नेत्र / ईएनटी सर्जन या उपयुक्त सरकार द्वारा प्रमाणन प्राधिकारी के रूप में नामित कोई व्यक्ति शामिल होगा।

(viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों से संबंधित प्रत्याशियों को साक्षात्कार के समय इसके समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ix) **पहचान प्रमाण: परीक्षा के समय (**सामान्य निर्देश के क्रम सं.21 एवं 22 **के साथ पढ़ा जाना है)** परीक्षा हॉल में, बुलावपत्र (**कॉल लेटर)** और प्रत्याशी की वर्तमान फोटो पहचानपत्र मूल के साथ उसकी एक फोटोकॉपी(बुलावपत्र (**कॉल लेटर)** पारा लिखे अनुसार ठीक वैसा ही **नाम हो)** जैसे पैन कार्ड / पासपोर्ट / स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस / मतदाता कार्ड / बैंक पासबुक फोटोग्राफ के साथ / फोटो के साथ फोटो पहचान प्रमाण किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज / विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र /आधार / फोटोग्राफ के साथ ई-आधार कार्ड / फोटो के साथ कर्मचारी आईडी / फोटो सहित बार काउंसिल पहचान पत्र सत्यापन के लिए पर्यवेक्षक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रत्याशी की पहचान को कॉल लेटर पर उसके विवरण, उपस्थिति सूची में और प्रस्तुत किए गए आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में सत्यापित किया जाएगा। यदि प्रत्याशी की पहचान संदेह में है, तो प्रत्याशी को परीक्षा / साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं किया जाएगा।

1. राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस को इस परियोजना के लिए वैध आईडी प्रूफ के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. जिन प्रत्याशियों ने अपना नाम बदल लिया है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे मूल राजपत्र अधिसूचना / अपने मूल विवाह प्रमाण पत्र / हलफनामे को मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे ।

(X) **स्थायी पते का प्रमाण (केवल साक्षात्कार के समय आवश्यक):** (i) टेलीफोन बिल (ii) बैंक खाता विवरण (iii) किसी भी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक प्राधिकरण से पत्र (iv) बिजली बिल (v) राशन कार्ड (vi) नियोक्ता से पत्र (सिडबी की संतुष्टि के अधीन) (vii) राज्य सरकार या इसी तरह के पंजीकरण प्राधिकरण के साथ विधिवत पंजीकृत **प्रत्याशी** के पते को इंगित करने वाला एक किराया समझौता। (सिडबी की संतुष्टि के लिए **सूचना प्रदान करने वाला कोई भी एक दस्तावेज़** पर्याप्त होगा)। जबकि आईडी प्रूफ में स्थायी पता भी होता है, स्थायी पते के अलग प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।

नोट: प्रत्याशियों **को मूल रूप में, नाम के साथ एक ही फोटो पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जैसा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र / कॉल लेटर पर दिखाई देता है और परीक्षा कॉल लेटर के साथ-साथ साक्षात्कार कॉल लेटर के साथ फोटो पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी जमा करना हो**गी **, जिसके बिना उन्हें परीक्षा / साक्षात्कार लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

<u>ऑनलाइन परीक्षा के लिए</u> <u>बुलावा पत्र **(कॉल लेटर):**</u>

- ✓ ऑनलाइन परीक्षा का कॉल लेटर (आईडी प्रूफ की प्रमाणित प्रति के साथ) परीक्षा स्थल पर जमा करना होगा।
- ✓ इसके अलावा, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान स्क्राइब फॉर्म (जहां भी लागू हो) भी एकत्र किया जाएगा।
- ✓ **प्रत्याशियों** को "सूचना हैंडआउट" और कॉल लेटर में प्रदान की गई जानकारी के अनुसार कॉल लेटर और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक अतिरिक्त फोटोग्राफ (कॉल लेटर पर **प्रत्याशी** द्वारा चिपकाया गया समान) ला**ना** आवश्यक है।
- ✓ कॉल लेटर पर **चिपकाए गए फोटोग्राफ के बिना** या एक अतिरिक्त **फोटोग्राफ** (कॉल लेटर पर चिपकाए गए) के बिना फोटो चिपकाए बिना रिपोर्ट करने वाले **प्रत्याशियों को** परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

*(यह सलाह दी जाती है कि **प्रत्याशी उसी** तस्वीर की लगभग 8 प्रतियां रखें जो आवेदन के समय अपलोड की गई हैं क्योंकि इस चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए इनकी आवश्यकता होगी।*

- ✓ **प्रत्याशी** को जाते समय **लैब**/स्थल के निकास पर दिए गए बक्से में रफ शीट को **छोड़ना** होगा। विशिष्ट निर्देश कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शित किए जाएंगे

(xi)परीक्षा के बाद नियंत्रण

परीक्षा पूरी होने पर, **प्रत्याशियों को** आयोजन स्थल के कर्मचारियों के निर्देशानुसार बिना भीड़ के व्यवस्थित तरीके से बाहर निकलना चाहिए।

(परीक्षा से संबंधित कुछ और निर्देश परीक्षा की निर्धारित तिथि के दौरान परिस्थिति के आधार पर जोड़े या संशोधित किए जा सकते हैं)

1. गैर-वापसी योग्य आवेदन सह प्रक्रिया शुल्क [लागू जीएसटी सहित]:

प्रत्याशी की श्रेणी Category of Candidate	आवेदन शुल्क Application Fee (in `)	सूचना प्रभार Intimation Charges (in `)	कुल प्रभार Total Charges (in `)
SC/ST/PwBD	शून्य Nil	₹175/- (Rupees One hundred and Seventy-Five Only)	₹175/- (Rupees One hundred and Seventy-Five Only)
Others (including OBCs/EWS and General Candidates)	₹925/- (Rupees Nine hundred and Twenty Five Only)	₹175/- (Rupees One hundred and Seventy Five Only)	₹1100/- (Rupees One Thousand and One hundred Only)

स्टाफ प्रत्याशी : सभी स्टाफ **प्रत्याशी** अर्थात, जो सिडबी के पेरोल पर हैं, शैक्षिक योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय ऊपर बताए गए शुल्क/सूचना शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति केवल सिडबी के उन कर्मचारियों को शुल्क रसीद जमा करने पर की जाएगी जो पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। स्टाफ **प्रत्याशी** के रूप में स्थिति साक्षात्कार के समय सत्यापित की जाएगी।

1. आवेदन कैसे करें

प्रत्याशी केवल सिडबी की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन का कोई अन्य तरीका मान्य नहीं होगा ।

(i) <u>ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पूर्व-आवश्यकताएं</u>

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, प्रत्याशियों को चाहिए: –

(i) उनके स्कैन करें:

- ✓ **फोटोग्राफ (4.5 सेमी * 3.5 सेमी)**
- ✓ **हस्ताक्षर (काली स्याही के साथ)**
- ✓ **बाएं अंगूठे का निशान (काले या नीले स्याही वाले सफेद कागज पर)**
- ✓ **हस्तलिखित घोषणा (काली स्याही वाले श्वेत पत्र पर) (नीचे दिया गया पाठ)**

यह सुनिश्चित करना कि ये सभी स्कैन किए गए दस्तावेज नीचे दिए गए दस्तावेजों की स्कैनिंग और अपलोड के लिए दिशानिर्देशों में दिए गए आवश्यक विनिर्देशों का पालन करते हैं।

(ii) **कैपिटल लेटर में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**

(iii) **बाएं अंगूठे के निशान को ठीक से स्कैन किया जाना चाहिए और धुंधला नहीं होना चाहिए।** (यदि किसी प्रत्याशी के पास बायां अंगूठा नहीं है, तो वह आवेदन करने के लिए अपने दाहिने अंगूठे का उपयोग कर सकता है।

(iv) **हस्तलिखित घोषणा का पाठ इस प्रकार है -**

"मैं, _____ (प्रत्याशी का नाम), एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत की

गई सभी जानकारी सही, सत्य और वैध है। मैं आवश्यकता पड़ने पर सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा।

(v) **उपर्युक्त हाथ से लिखित घोषणा प्रत्याशी की लिखावट में और केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए। यदि यह किसी और या किसी अन्य भाषा में लिखा और अपलोड किया जाता है, तो आवेदन को अमान्य माना जाएगा।** (दृष्टिबाधित प्रत्याशियों के मामले में जो लिख नहीं सकते हैं, वे घोषणा का पाठ टाइप करवा सकते हैं और टाइप की गई घोषणा के नीचे अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगा सकते हैं और विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं।

(vi) आवश्यक आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क का **ऑनलाइन भुगतान** करने के लिए आवश्यक विवरण/दस्तावेज तैयार रखें।

(vii) एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी है, जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक कम से कम सक्रिय रखा जाना चाहिए। सिडबी केवल **इस ई-मेल आईडी पर** पीआरटी / ऑन-लाइन परीक्षा / साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए सूचना भेजेगा किसी भी परिस्थिति में, एक प्रत्याशी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ / यदि किसी प्रत्याशी के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी नई ई-मेल आईडी बनानी चाहिए और उस ईमेल खाते को बनाए रखना चाहिए।

(viii) डिजी लॉकर को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ एकीकृत किया गया है। प्रत्याशी , स्वैच्छिक आधार पर, डिजी लॉकर के माध्यम से अपने जारी किए गए क्रेडेंशियल्स/दस्तावेजों (जैसे आधार और शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र) और व्यक्तिगत जानकारी (जैसे नाम, जन्म तिथि और लिंग) तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, केवल वे दस्तावेज और विवरण जो डिजी लॉकर के माध्यम से उपलब्ध और साझा किए गए हैं, उन्हें प्राप्त किया जाएगा और सत्यापन उद्देश्यों के लिए विचार किया जाएगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

A. आवेदन प्रक्रिया

1. प्रत्याशी सिडबी की वेबसाइट **पर जा**एं- **www.sidbi.in -** "ऑनलाइन आवेदन करें / **APPLY ONLINE" विकल्प पर क्लिक करें,** जिससे एक नई स्क्रीन खुलेगी।
2. आवेदन पंजीकृत करने के लिए, टैब चुनें, **"नए पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें / Click here for New Registration "** और नाम, संपर्क विवरण और ईमेल-आईडी दर्ज करें। सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड उत्पन्न किया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। **प्रत्याशी** को अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट करना चाहिए। अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का संकेत देने वाला एक ईमेल और एसएमएस **दिए गए ईमेल आईडी पर** भी भेजा जाएगा।
3. यदि प्रत्याशी एक बार में आवेदन पत्र को पूरा करने में असमर्थ है, तो वह "सेव एंड नेक्स्ट / SAVE AND NEXT" टैब चुनकर पहले से दर्ज किए गए डेटा को सहेज सकता है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरणों को सत्यापित करने के लिए "सेव एंड नेक्स्ट / SAVE AND NEXT" " सुविधा का उपयोग करें और यदि आवश्यक हो तो इसे संशोधित करें। दृष्टिबाधित प्रत्याशियों को आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए विवरणों को सत्यापित करना चाहिए कि अंतिम प्रस्तुति से पहले यह सही है।
4. **प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरणों को सावधानीपूर्वक भरें और सत्यापित करें क्योंकि "पंजीकरण पूर्ण करें / COMPLETE REGISTRATION" बटन पर क्लिक करने के बाद कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा।**
5. प्रत्याशी या उसके पिता / पति आदि का नाम आवेदन में सही ढंग से लिखा जाना चाहिए क्योंकि यह प्रमाण पत्र / मार्क शीट / पहचान प्रमाण में दिखाई देता है। पाया गया कोई भी परिवर्तन/परिवर्तन उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर सकता है।
6. *'अपने विवरण को मान्य करें/ Validate your details'* और *'सहेजें और अगला/ Save & Next'* बटन पर

क्लिक करके अपना आवेदन सहेजें।

7. प्रत्याशी स्कैनिंग और फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के लिए बिंदु "सी" के तहत दिशानिर्देशों में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
8. प्रत्याशी आवेदन पत्र के अन्य विवरण भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
9. **"पंजीकरण पूर्ण करें / COMPLETE REGISTRATION"** से पहले पूरे आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन और सत्यापन करने के लिए पूर्वावलोकन टैब / Preview Tab **पर क्लिक करें**।
10. यदि आवश्यक हो तो विवरण संशोधित करें, और **सत्यापित करने और सुनिश्चित करने के बाद ही "पंजीकरण पूर्ण करें / COMPLETE REGISTRATION"** पर क्लिक करें कि आपके द्वारा भरी गई तस्वीर, हस्ताक्षर और अन्य विवरण सही हैं।
11. 'भुगतान / Payment' टैब पर क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।
12. 'सबमिट / Submit ' बटन पर क्लिक करें।

B. <u>शुल्क का भुगतान</u>

<u>ऑनलाइन मोड</u>

1. आवेदन पत्र भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है और निर्देशों का पालन करके भुगतान प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
2. भुगतान स्क्रीन पर पूछे गए अनुसार जानकारी प्रदान करके डेबिट कार्ड (रुपे/वीजा/मास्टर कार्ड/मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेट का उपयोग करके किया जा सकता है।
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी भुगतान जानकारी जमा करने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें। डबल चार्ज से बचने के लिए बैक या रिफ्रेश बटन न दबाएँ।
4. लेनदेन के सफल समापन पर, एक ई-रसीद उत्पन्न होगी।
5. 'ई-रसीद' का सृजन न होना भुगतान विफलता को दर्शाता है। भुगतान की विफलता पर, प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके फिर से लॉगिन करें और भुगतान की प्रक्रिया को दोहराएं।
6. **प्रत्याशियों** को ई-रसीद **और ऑनलाइन आवेदन पत्र** का प्रिंटआउट लेना आवश्यक है। है। **<u>कृपया ध्यान दें कि यदि इसे जनरेट नहीं किया जा सकता है, तो ऑनलाइन लेनदेन सफल नहीं हो सकता है।</u>**

Note:

(i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी भुगतान जानकारी जमा करने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें, डबल चार्ज से बचने के लिए बैक या रिफ्रेश बटन न दबाएं।

(ii) क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए: सभी कीमतें भारतीय रुपये में सूचीबद्ध हैं। यदि आप एक गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपका बैंक प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर आपकी स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित हो जाएगा।

(iii) अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कृपया अपना लेनदेन पूरा होने के बाद ब्राउज़र विंडो बंद कर दें।

(i) एकाधिक पंजीकरण के मामले में, केवल अंतिम पंजीकरण वैध रखा जाएगा।

(ii) शुल्क के भुगतान सहित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, प्रत्याशी को सिस्टम द्वारा जनरेट ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भरे गए विवरण सटीक हैं और भविष्य के संदर्भ के लिए पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ इसे बनाए रखना

चाहिए। उन्हें यह प्रिंटआउट सिडबी को नहीं भेजना चाहिए।

(iii) आवेदन के सफल पंजीकरण पर उत्पन्न पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ एक ईमेल/एसएमएस सूचना प्रत्याशी की ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट एक प्रणाली जनित पावती के रूप में भेजी जाएगी। यदि प्रत्याशियों को उनके द्वारा निर्दिष्ट ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर ईमेल और एसएमएस सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे विचार कर सकते हैं कि उनका ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत नहीं हुआ है।

(iv) ऑनलाइन आवेदन सही ढंग से भरने के लिए प्रत्याशी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। आवेदक द्वारा की गई त्रुटियों के कारण अमान्य आवेदनों के मामले में, इस प्रकार एकत्र किए गए आवेदन धन की वापसी के लिए कोई दावा सिडबी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(v) दृष्टिबाधित प्रत्याशियों को आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरना चाहिए और अंतिम जमा करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए विवरण सत्यापित करना चाहिए कि यह सही है।

<u>अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए, प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन शुल्क का भुगतान करें और जल्द से जल्द ऑनलाइन पंजीकरण करें।</u>

नोट - शुल्क भुगतान के बाद शुल्क विवरण युक्त प्रस्तुत आवेदन को पुनर्मुद्रित करने का भी प्रावधान है।

कृपया ध्यान दें कि उम्मीदवार का नाम, श्रेणी, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परीक्षा केंद्र सहित ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित सभी विवरणों को अंतिम माना जाएगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद कोई परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए प्रत्याशियों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र को अत्यंत सावधानी से भरें क्योंकि विवरण में परिवर्तन के संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। सिडबी आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण प्रदान करने या चूक में गलत और अधूरे विवरण प्रस्तुत करने से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(vi) एक ऑनलाइन आवेदन जो किसी भी मामले में अधूरा है जैसे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की गई तस्वीर और हस्ताक्षर के बिना / असफल शुल्क भुगतान को वैध नहीं माना जाएगा।

(vii) प्रत्याशियों को अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन करें और इंटरनेट/वेबसाइट जाम पर भारी भार के कारण सिडबी की वेबसाइट पर कनेक्शन कटने/असमर्थता/लॉग-ऑन करने में विफलता की संभावना से बचने के लिए शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें।

(viii) सिडबी उपर्युक्त कारणों से अथवा सिडबी के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।

(ix) कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त प्रक्रिया आवेदन करने के लिए एकमात्र वैध प्रक्रिया है। आवेदन का कोई अन्य तरीका या अपूर्ण कदम स्वीकार नहीं किए जाएंगे, और ऐसे आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

(x) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी प्रत्याशी पर व्यक्तिगत रूप से बाध्यकारी होगी और यदि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी/विवरण बाद के चरण में गलत पाया जाता है, तो वह अभियोजन/नागरिक परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

(xi) पते में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध, या ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित किसी भी अन्य विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। एक प्रत्याशी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा

सभी स्थानों पर संलग्न हस्ताक्षर जैसे कि उसके कॉल लेटर, उपस्थिति पत्र और भविष्य में सिडबी के साथ सभी पत्राचार में समान होना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए।

(xii) प्रत्याशी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाल ही में लिए गए, पहचानने योग्य तस्वीर अपलोड की जानी चाहिए और प्रत्याशी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उपयोग के लिए उसी की प्रतियां रखी जाएं। प्रत्याशियों को यह भी सलाह दी जाती है कि प्रक्रिया पूरी होने तक वे अपना हुलिया न बदलें। प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एक ही तस्वीर का उत्पादन करने में विफलता, किसी भी स्तर पर पहचान के बारे में संदेह अयोग्यता का कारण बन सकता है।

1. दस्तावेजों की स्कैनिंग और अपलोड के लिए दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक प्रत्याशी को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर की स्कैन (डिजिटल) छवि की आवश्यकता होगी।

(i) फोटोग्राफ छवि: (4.5 सेमी * 3.5 सेमी)

- फोटोग्राफ हाल ही में पासपोर्ट आकार का रंगीन चित्र होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि चित्र हल्के रंग के रंग में है, अधिमानतः सफेद, पृष्ठभूमि में लिया गया है।
- आराम से चेहरे के साथ सीधे कैमरे की ओर देखें ।
- यदि तस्वीर धूप वाले दिन ली गई है, तो सूरज को अपने पीछे रखें, या अपने आप को छाया में रखें, ताकि आप भेंगापन न लगे और कोई कठोर छाया न हो।
- यदि आपको फ्लैश का उपयोग करना है, तो सुनिश्चित करें कि कोई "रेड-आई" नहीं है।
- यदि आप चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिंब नहीं है, और आपकी आंखें साफ दिखाई दें ।
- स्पष्ट रूप से देखी जा सकें ।
- टोपी, टोपी और काले चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं।
- धार्मिक हेडवियर की अनुमति है लेकिन यह आपके चेहरे को कवर नहीं करना चाहिए।
- आयाम 200 x 230 पिक्सेल (पसंदीदा)।
- फ़ाइल का आकार 20kb -50 kb के बीच होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 50kb से अधिक नहीं है। यदि फ़ाइल का आकार 50 kb से अधिक है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान रंगों की स्कैनर की सेटिंग्स जैसे DPI रिज़ॉल्यूशन, आदि का समायोजन करें ।

(ii) फोटोग्राफ कैप्चर

- उपरोक्त तस्वीर के अलावा, प्रत्याशियों को वेबकैम या मोबाइल फोन का उपयोग करके अपनी लाइव तस्वीर कैप्चर और अपलोड करने की भी आवश्यकता होगी।
- "कैप्चर फोटो" विकल्प का चयन करने पर, प्रत्याशियों का वेबकैम सक्रिय हो जाएगा, जिससे वे अपनी तस्वीर क्लिक कर सकेंगे, जो आवेदन पत्र में ऑटो अपलोड हो जाएगा।
- "स्कैन करने के लिए यहां क्लिक करें" विकल्प का चयन करने पर, प्रत्याशी क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं, जो एक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा, जिससे वे अपने मोबाइल फोन पर फोटो क्लिक कर सकेंगे। ली गई तस्वीर का चयन करने पर, आवेदन पत्र में फोटोग्राफ ऑटो अपलोड हो जाएगा।

फोटो कैप्चर करने के लिए क्या करें और क्या न करें

क्या करें

- सुनिश्चित करें कि फोटो हल्के रंग में कैप्चर की गई है, अधिमानतः सफेद पृष्ठभूमि और पर्याप्त रोशनी है।

- सीधे वेबकैम/कैमरे को देखें।
- फोटो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए।

क्या न करें

- छोटे आकार की तस्वीर पर क्लिक नहीं किया जाना चाहिए/अपलोड नहीं किया जाना चाहिए।
- रंगीन चश्मा या धूप का चश्मा/टोपी नहीं पहननी चाहिए।
- चेहरे पर छाया/कैमरे का सामना नहीं करना/विकृत चेहरा/मास्क से ढका हुआ चेहरा/धुंधली छवि।
- फोटो अंधेरे/अनुचित पृष्ठभूमि में नहीं लिया गया है।

(iii) **हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हाथ से लिखी गई घोषणा छवि:**

- आवेदक को काले स्याही वाले पेन से सफ़ेद कागज़ पर हस्ताक्षर करना होगा।
  - ✓ आयाम: 140 x 60 पिक्सेल (पसंदीदा)
  - ✓ फ़ाइल का आकार हस्ताक्षर के लिए 10kb - 20kb और बाएं अंगूठे के निशान के लिए 20kb - 50kb के बीच होना चाहिए।
  - ✓ सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 20kb से अधिक नहीं है
- आवेदक को अपने बाएं अंगूठे का निशान काली या नीली स्याही वाले सफेद कागज पर लगाना होगा।
  - ✓ फाइल का प्रकार: jpg /
  - ✓ आयाम: 200 डीपीआई में 240 x 240 पिक्सेल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए पसंदीदा) यानी 3 सेमी * 3 सेमी (चौड़ाई * ऊंचाई)
  - ✓ फ़ाइल का आकार: 20 KB - 50 KB
- आवेदक को काली स्याही के साथ एक सफेद कागज पर स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में घोषणा लिखनी होगी।
  - ✓ फाइल का प्रकार: jpg /
  - ✓ आयाम: 200 डीपीआई में 800 x 400 पिक्सेल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए पसंदीदा) यानी 10 सेमी * 5 सेमी (चौड़ाई * ऊंचाई)
  - ✓ File Size: 50 KB - 100 KB
- हस्ताक्षर बाएं अंगूठे का निशान और हाथ से लिखित घोषणा आवेदक की होनी चाहिए, न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।
- यदि परीक्षा के समय हस्ताक्षरित उपस्थिति पत्रक या कॉल लेटर पर आवेदक का हस्ताक्षर, अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता है, तो आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर/हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी।

(iv) **दस्तावेज़ों को स्कैन करना:**

- स्कैनर रिज़ॉल्यूशन को कम से कम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें
- रंग को सही रंग पर सेट करें
- फ़ाइल का आकार जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है
- स्कैनर में छवि को फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे के निशान/हाथ से लिखित घोषणा के किनारे पर क्रॉप करें, फिर छवि को अंतिम आकार में क्रॉप करने के लिए अपलोड संपादक का उपयोग करें (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है)।
- छवि फ़ाइल JPG या JPEG प्रारूप होनी चाहिए। **एक उदाहरण फ़ाइल नाम है: image01.jpg या image01.jpeg** फ़ोल्डर फ़ाइलों को सूचीबद्ध करके या फ़ाइल छवि आइकन पर माउस को स्थानांतरित करके छवि आयामों की जाँच की जा सकती है।

- एमएस विंडोज / एमएस का उपयोग करने वाले प्रत्याशी एमएस पेंट या एमएस फिस / पिक्चर मैनेजर का उपयोग करके आसानी से .jpeg प्ररूप में दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्ररूप में स्कैन किए गए दस्तावेज़ को फ़ाइल मेनू में 'इस रूप में सहेजें' विकल्प का उपयोग करके .jpg / .jpeg प्रारूप में सहेजा जा सकता है। आकार को क्रॉप और फिर आकार बदलने के विकल्प का उपयोग करके समायोजित किया जा सकता है। इसी तरह के विकल्प अन्य फोटो एडिटर में भी उपलब्ध हैं।
- यदि फ़ाइल का आकार और स्वरूप निर्धारित नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय प्रत्याशी को अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए एक लिंक प्रदान किया जाएगा।

दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय प्रत्याशी को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हाथ से लिखित घोषणा अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक प्रदान किए जाएंगे।
- संबंधित लिंक पर क्लिक करें "फोटोग्राफ / हस्ताक्षर अपलोड करें / बाएं अंगूठे का निशान / हाथ से लिखित घोषणा अपलोड करें"
- ब्राउज़ करें और उस स्थान का चयन करें जहां स्कैन की गई फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान/हाथ से लिखी गई घोषणा फ़ाइल सहेजी गई है।
- उस पर क्लिक करके फ़ाइल का चयन करें
- 'ओपन/अपलोड' बटन पर क्लिक करें।
- यदि फ़ाइल का आकार और स्वरूप निर्धारित नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
- अपलोड की गई छवि का पूर्वावलोकन छवि की गुणवत्ता देखने में मदद करेगा। अस्पष्ट/धुंधला होने की स्थिति में, इसे अपेक्षित स्पष्टता/गुणवत्ता के साथ फिर से अपलोड किया जा सकता है।

आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक आप हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और निर्दिष्ट के रूप में हाथ से लिखित घोषणाअपनी तस्वीर अपलोड नहीं करते।

नोट:-

1. **यदि तस्वीर में चेहरा, या हस्ताक्षर अस्पष्ट / धुंधला है, तो उम्मीदवार के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जा सकता है।**
2. **ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे का निशान / हाथ से लिखित घोषणा अपलोड करने के बाद, प्रत्याशियों को यह जांचना चाहिए कि छवियां स्पष्ट हैं और सही ढंग से अपलोड की गई हैं। यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हाथ से लिखित घोषणा प्रमुखता से दिखाई नहीं दे रही है, तो उम्मीदवार अपने आवेदन को संपादित कर सकता है और फॉर्म जमा करने से पहले अपनी तस्वीर या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हाथ से लिखित घोषणा को फिर से अपलोड कर सकता है।**
3. **उम्मीदवार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हस्ताक्षर के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थानों पर फोटो अपलोड किया गया है। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किए जाते हैं, तो उम्मीदवार को परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
4. **उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड की जाने वाली फोटो आवश्यक आकार की हो और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।**
5. **यदि फोटो के स्थान पर फोटो अपलोड नहीं किया जाता है, तो परीक्षा के लिए प्रवेश अस्वीकृत/अस्वीकार कर दिया जाएगा। उम्मीदवार उसी के लिए खुद जिम्मेदार होगा।**
6. **प्रत्याशियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।**
7. **ऑनलाइन पंजीकरण के बाद, प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम द्वारा उत्पन्न ऑनलाइन आवेदन पत्रों का प्रिंटआउट लें।**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

प्रधान कार्यालय: सिडबी टावर, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

ग्रेड 'ए' और ग्रेड 'बी' में अधिकारियों के पद के लिए भर्ती-

सामान्य और विशेष सवर्ग : 2026-27

सामान्य निर्देश

[कृपया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले ध्यान से पढ़ें]

1. आवेदन पत्र भरने से पहले, प्रत्याशियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आयु, शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव आदि के संबंध में सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। 21 नवंबर, **2026 और 11 दिसंबर, 2026 तक, जैसा भी मामला हो**, उस पद के संबंध में हो जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है और आवेदन पत्र में प्रस्तुत विवरण सभी प्रकार से सही हैं।

2. चयनित प्रत्याशियों की नियुक्तियां बैंक चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किए जाने के अधीन होंगी, पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में संतोषजनक रिपोर्ट, उनके पिछले नियोक्ता और रेफरी से संतोषजनक रिपोर्ट, जाति / जनजाति और वर्ग प्रमाण पत्र का सत्यापन और सिडबी की पूर्ण संतुष्टि के लिए अन्य सभी पूर्व भर्ती औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन होंगे। इसके अलावा, इस तरह की नियुक्ति सिडबी की सेवा और आचरण नियमों के अधीन भी होगी।

3. ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट और किसी भी अन्य दस्तावेज (मूल या उसकी प्रति में) **सिडबी के किसी भी कार्यालय / शाखा को नहीं** भेजा जाना चाहिए।

4. प्रत्याशियों को आगाह किया जाता है कि वे किसी भी विवरण या जानकारी है कि झूठी, छेड़छाड़ / मनगढ़ंत हैं या ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी भौतिक जानकारी को छिपाना नहीं चाहिए प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि एक प्रत्याशी पद के लिए आवेदन किए गए किसी भी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है और / या वह / वह किसी भी गलत जानकारी प्रस्तुत किया है या किसी भी भौतिक तथ्य (ओं) को दबा दिया है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि इनमें से किसी भी कमी का पता लगाया जाता है तो नियुक्ति के बाद भी, उसकी / उसकी सेवाएं समाप्त होने के लिए उत्तरदायी हैं।

5. सभी शैक्षणिक योग्यता इस विज्ञापन में दर्शाए गए भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पर या उससे पहले प्राप्त की जानी चाहिए। यदि अंकों के बजाय ग्रेड प्रदान किए जाते हैं, तो प्रत्याशियों को अंक पत्र में ग्रेड के रूपांतरण चार्ट की एक प्रति संलग्न करनी चाहिए, जिसे विभाग / संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है, यदि यह मार्कशीट में इंगित नहीं किया गया है।

6. भर्ती से संबंधित सभी मामलों में सिडबी का निर्णय जैसे प्रत्याशी की पात्रता, जिन चरणों में पात्रता की ऐसी जांच की जानी है, साक्षात्कार / चयन आदि के संचालन के उद्देश्य से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और कोई अन्य मामला प्रत्याशी पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। **इस संबंध में सिडबी द्वारा कोई**

पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. सिडबी न्यूनतम पात्रता मानक आदि को बढ़ाने/शिथिल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, ताकि रिक्तियों की संख्या के अनुरूप साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या को सीमित किया जा सके। **इस संबंध में** कोई अलग संचार/अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।

8. सिडबी आवेदन करने की पात्रता के बारे में सलाह मांगने वाले प्रत्याशियों के अनुरोधों पर विचार नहीं करेगा।

9. बैंक प्रत्याशियों को चयन प्रक्रिया की मार्कशीट प्रस्तुत नहीं करता है। भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने के बाद चरण I और चरण II ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंक बैंक की वेबसाइट पर इंटरैक्टिव मोड में उपलब्ध कराए जाएंगे।

10. एक बार किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक बार भुगतान किए गए आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क / डाक शुल्क किसी भी खाते पर वापस नहीं किया जाएगा और न ही भविष्य की किसी भी परीक्षा या चयन के लिए रिजर्व में आयोजित किया जाएगा।

11. हाल ही में पासपोर्ट आकार, रंगीन तस्वीर (काले चश्मे के बिना) की पर्याप्त प्रतियां जो 'ऑनलाइन' कॉल लेटर पर चिपकाई जाती हैं, उन्हें बाद की भर्ती औपचारिकताओं के लिए रखा जाना चाहिए। **प्रत्याशियों को** सलाह दी जाती है कि वे पूरी भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने तक अप**ना** हुलिया **न** बदलें। बाद में एक ही तस्वीर का उत्पादन करने में विफलता अयोग्यता का कारण बन सकती है।

12. ओबीसी श्रेणी से संबंधित प्रत्याशियों के संबंध में, *भर्ती में ओबीसी के लिए आरक्षण कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थावर द्वारा शासित होता है। (एससीटी) दिनांक 08 सितंबर, 1993 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के रूप में समय-समय पर संशोधित किया गया है। 'क्रीमी लेयर' में आने वाले ओबीसी प्रत्याशी ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें अपनी श्रेणी को 'जनरल (जेन)' के रूप में इंगित करना चाहिए। उक्त श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी प्रत्याशियों को* ***वित्तीय वर्ष 2025-2026, 2024-2025 और 2023-2024 के लिए आय के आधार पर ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और 01 अप्रैल, 2026 (वित्त वर्ष 2025-26 के पूरा होने के बाद) को जारी*** *किया गया होगा, लेकिन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि के बाद नहीं। प्रत्याशी के पास पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि यानी* ***11 दिसंबर,, 2026*** *को उससे पहले आरक्षण प्राप्त करने के अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित ओबीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए।*

नोट: ओबीसी आवेदकों के लिए, केवल केंद्रीय सूची में शामिल होने वाली जातियों/उप-जातियों पर विचार किया जाएगा। तदनुसार, ओबीसी जाति/उप-जाति संबंधित राज्य सूची में शामिल हैं, लेकिन केंद्रीय सूची (भारत सरकार) में नहीं हैं, उन्हें ओबीसी श्रेणी के तहत नहीं माना जाएगा।

13. ओबीसी को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला। मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप-उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे नहीं (iv) उस क्षेत्र का उपमंडल अधिकारी जहां प्रत्याशी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

14. प्रत्याशी की नियुक्ति उचित चैनल और प्रशंसापत्र के सत्यापन के माध्यम से सत्यापित होने के लिए जनजाति/वर्ग प्रमाण पत्र के अधीन अनंतिम रहेगी। प्रत्याशी की सेवा को बिना किसी कारण बताए तुरंत

समाप्त किया जा सकता है, यदि सत्यापन से पता चलता है कि ओबीसी से संबंधित होने का उसका दावा (क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है) और अन्य प्रशंसापत्र गलत हैं। सिडबी प्रत्याशी के खिलाफ इस तरह की आगे की कार्रवाई करने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा कि यह झूठे प्रमाण पत्र (ओं) के उत्पादन के लिए उचित समझा जा सकता है।

15. हिंदी / अंग्रेजी के उपयोग के लिए **विकल्प** साक्षात्कार के दौरान उपलब्ध होगा**। प्रत्याशी नोट करें कि** आवेदन पत्र में उपयुक्त स्थान पर अपनी पसंद का संकेत देने के लिए नोट कर सकते हैं।

16. प्रत्याशियों को अपने स्वयं के खर्च और जोखिम पर पूर्व-भर्ती प्रशिक्षण / ऑनलाइन परीक्षा / व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। सिडबी किसी भी प्रत्याशी को किसी भी प्रकार की चोट / हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

17. प्रत्याशियों को अपने स्वयं के खर्च पर साक्षात्कार (जैसा लागू हो) के लिए उपस्थित होना होगा। हालांकि, साक्षात्कार के लिए बुलाए गए पात्र (बाहरी) प्रत्याशियों को किए गए वास्तविक यात्रा खर्च (जैसे, हवाई किराया / द्वितीय एसी श्रेणी / बस / टैक्सी किराया, करने और जाने के लिए) या '10,000 / / - जो भी कम हो, टिकट / दस्तावेजी साक्ष्य के उत्पादन पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। स्थानीय परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

18. चयनित प्रत्याशी , जो पहले से ही सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों की सेवा में हैं, उन्हें ड्यूटी पर रिपोर्टिंग के समय ***अपने वर्तमान नियोक्ता से*** 'उचित राहत पत्र/छुट्टी प्रमाण पत्र' मूल रूप में **प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें ड्यूटी पर रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।** इसलिए, प्रत्याशी , जो पहले से ही सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों की सेवा में हैं, इस संबंध में अपने वर्तमान नियोक्ताओं के नियमों/विनियमों के अनुसार सिडबी में आवेदन करने से पहले अपने वर्तमान नियोक्ता से पूर्व अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करे।

19. केवल भारत में कहीं भी सेवा करने के इच्छुक प्रत्याशी ही आवेदन करें ।

20. परीक्षा हॉल में और साथ ही साक्षात्कार के समय (जैसा लागू हो), मूल के साथ कॉल लेटर और प्रत्याशी की वर्तमान में वैध फोटो पहचान की एक फोटोकॉपी (कॉल लेटर पर दिखाई देने वाले बिल्कुल उसी नाम के साथ) जैसे पैन कार्ड / पासपोर्ट / स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस / मतदाता कार्ड / बैंक पासबुक फोटोग्राफ के साथ बैंक पासबुक / फोटो पहचान प्रमाण आधिकारिक लेटरहेड पर एक जनप्रतिनिधि द्वारा जारी फोटो / फोटो / फोटो के साथ एक मान्यता प्राप्त कॉलेज / विश्वविद्यालय / आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड एक फोटोग्राफ के साथ / कर्मचारी आईडी / बार काउंसिल पहचान पत्र के साथ फोटो सत्यापन के लिए पर्यवेक्षक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रत्याशी की पहचान कॉल लेटर पर उसके विवरण के संबंध में सत्यापित की जाएगी, उपस्थिति सूची में और प्रस्तुत किए गए आवश्यक दस्तावेज। यदि प्रत्याशी की पहचान संदेह में है तो प्रत्याशी को परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस इस परियोजना के लिए वैध आईडी प्रमाण नहीं हैं।

नोट: प्रत्याशियों को मूल फोटो पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और परीक्षा कॉल लेटर के साथ-साथ साक्षात्कार कॉल लेटर के साथ एक ही फोटो पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी जमा करनी होगी, जिसके बिना उन्हें परीक्षा / साक्षात्कार लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्याशियों को ध्यान देना चाहिए कि कॉल लेटर पर दिखाई देने वाला नाम (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया गया) फोटो पहचान प्रमाण पर दिखाई देने वाले नाम से अक्षरश: मेल खाना चाहिए।

जिन महिला प्रत्याशियों ने शादी के बाद पहला/अंतिम/मध्य नाम बदल दिया है, उन्हें इस पर विशेष

ध्यान देना चाहिए। यदि कॉल लेटर और फोटो पहचान प्रमाण में दर्शाए गए नाम के बीच कोई अंतर है, तो प्रत्याशी को परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन प्रत्याशियों ने अपना नाम बदल लिया है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे मूल राजपत्र अधिसूचना / अपना मूल विवाह प्रमाण पत्र / हलफनामा प्रस्तुत करेंगे।

21. कृपया ध्यान दें कि प्रत्याशियों को निम्नलिखित दस्तावेजों के बिना ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

(i) परीक्षा के लिए वैध कॉल लेटर।

(ii) फोटो-पहचान प्रमाण मूल रूप में; तथा

(iii) उसी फोटो-पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी

22. देर से रिपोर्ट करने वाले प्रत्याशियों यानी परीक्षा के लिए कॉल लेटर पर निर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के बाद परीक्षा देने की **अनुमति नहीं दी जाएगी**। कॉल लेटर पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय परीक्षण के प्रारंभ समय से पहले है। हालांकि परीक्षा की अवधि **चार घंटे है, प्रत्याशियों को विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समय सहित लगभग** छह घंटे **के लिए कार्यक्रम स्थल पर रहने की आवश्यकता हो सकती** है जैसे कि सत्यापन और विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों का संग्रह, लॉग इन करना, निर्देश देना।

23. कदाचार/अनुचित साधनों के उपयोग के दोषी पाए गए प्रत्याशियों **के खिलाफ कार्रवाई**

प्रत्याशियों को अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे ऐसा कोई भी विवरण प्रस्तुत न करें जो झूठा, छेड़छाड़ या मनगढ़ंत हो और ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय किसी भी भौतिक जानकारी को दबाना न चाहिए।

परीक्षा, साक्षात्कार या बाद की चयन प्रक्रिया के समय, यदि कोई प्रत्याशी दोषी पाया जाता है (या किया गया है) -

(a) अनुचित साधनों का उपयोग करना या

(b) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण या प्रतिरूपण प्राप्त करना या

(c) प्रकटीकरण, प्रकाशन, पुनरुत्पादन, संचारण, भंडारण या सुविधा प्रदान करना या उसमें किसी भी जानकारी को पूरे या उसके हिस्से में किसी भी रूप या किसी भी माध्यम से, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रूप से किसी भी उद्देश्य के लिए या

(d) अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेना या

(e) अनुचित तरीकों से उसकी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, या

(f) परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन या संचार के इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाने के बाद, ऐसा प्रत्याशी , खुद को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराने के अलावा, उत्तरदायी हो सकता है:

(i) उस परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जाना जिसके लिए वह प्रत्याशी है;

(ii) सिडबी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है;

(iii) सेवा की समाप्ति के लिए, यदि वह पहले ही सिडबी में शामिल हो चुका है.

महत्वपूर्ण:

सिडबी सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए अन्य प्रत्याशियों के साथ व्यक्तिगत प्रत्याशियों की प्रतिक्रियाओं (उत्तरों) का विश्लेषण करेगा। यदि इस संबंध में सिडबी द्वारा अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में, यह अनुमान/निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रतिक्रियाएं साझा की गई हैं और प्राप्त अंक वास्तविक/वैध नहीं हैं, तो सिडबी संबंधित प्रत्याशियों की उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसे प्रत्याशियों (अयोग्य) के परिणाम को रोक दिया जाएगा।

24. केंद्र, स्थल का पता, आवेदन किया गया पद, परीक्षा और साक्षात्कार के लिए तारीख और समय संबंधित कॉल लेटर में सूचित किया जाएगा। एक प्रत्याशी जिसने सफलतापूर्वक पंजीकरण किया है, उसे सिडबी की वेबसाइट से अपना कॉल लेटर डाउनलोड करना चाहिए **www.sidbi.in** उसका विवरण यानी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड / जन्म तिथि दर्ज करके डाउनलोड करना चाहिए। कॉल लेटर / सूचना हैंडआउट की कोई हार्ड कॉपी डाक / कूरियर द्वारा नहीं भेजी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ईमेल और / एसएमएस द्वारा सूचना भेजी जाएगी। सिडबी मोबाइल नंबर, ईमेल पते, तकनीकी गलती या अन्यथा सिडबी के नियंत्रण से बाहर होने के कारण प्रत्याशी को ई-मेल / एसएमएस के माध्यम से भेजे गए किसी भी संचार की देर से प्राप्ति / गैर-प्राप्ति की जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसलिए प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से सिडबी की वेबसाइट के संपर्क में रहें **www.sidbi.in** विवरण, अपडेट और किसी भी जानकारी के लिए जो आगे के मार्गदर्शन के लिए पोस्ट की जा सकती है और साथ ही भर्ती प्रक्रिया के दौरान समय-समय पर अपने पंजीकृत ई-मेल खाते की जांच करें।

25. परीक्षा आयोजन में कुछ समस्या की घटना की संभावना से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है जो परीक्षण वितरण और / या परिणाम उत्पन्न होने से प्रभावित हो सकता है। उस घटना में, ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें प्रत्याशियों की आवाजाही, परीक्षा में देरी शामिल हो सकती है। पुन: परीक्षा का संचालन परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय के पूर्ण विवेक पर है। प्रत्याशियों के पास पुन: परीक्षा के लिए कोई दावा नहीं होगा। परीक्षण वितरण की विलंबित प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक या इच्छुक नहीं होने वाले प्रत्याशियों को प्रक्रिया से सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

26. यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, तो विभिन्न सत्रों में स्कोर को सत्रों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न परीक्षण बैटरियों के कठिनाई स्तर में मामूली अंतर के लिए समायोजित करने के लिए बराबर किया जाएगा। यदि नोड की क्षमता कम है या किसी केंद्र पर या किसी प्रत्याशी के लिए कुछ तकनीकी व्यवधान होता है तो एक से अधिक सत्रों की आवश्यकता होती है।

27. यदि पर्याप्त संख्या में प्रत्याशी ऑनलाइन परीक्षा के लिए किसी विशेष केंद्र का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो सिडबी उन प्रत्याशियों को कोई अन्य सहायक केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है या यदि प्रत्याशियों की संख्या किसी केंद्र के लिए ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपलब्ध क्षमता से अधिक है, तो सिडबी प्रत्याशी को कोई अन्य केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले दावे या विवाद के किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही और/या उसके जवाब में एक आवेदन केवल लखनऊ में स्थापित किया जा सकता है और लखनऊ में न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/मंचों के पास किसी भी खंड/विवाद की सुनवाई करने का एकमात्र और अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा।

29. प्रत्याशी को भविष्य में उपयोग के लिए आवेदन पत्र / पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का सुरक्षित रूप से सिस्टम जनित प्रिंट आउट रखना सुनिश्चित **करना चाहिए**। पंजीकरण संख्या / पासवर्ड की पुन: आपूर्ति के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा।

30. किसी भी रूप में अनुयाचन करना अयोग्यता होगी।

31. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में पाए गए प्रत्याशी द्वारा गलत जानकारी प्रदान करने और/या प्रक्रिया के उल्लंघन के मामलों से प्रत्याशी को चुनाव प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे भविष्य में किसी भी सिडबी भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चला है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से होगी।

32. सिडबी को बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर किसी भी आवेदन/उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार है और सिडबी का निर्णय प्रत्याशी पर बाध्यकारी होगा।

33. बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित या पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए या बैंक के साथ पंजीकरण के समय आवेदन में उल्लिखित ईमेल आईडी पर सूचित किए गए प्रत्याशियों के लिए कोई भी नोटिस/संचार सभी उद्देश्यों के लिए प्रत्याशी पर संचार की पर्याप्त सेवा माना जाएगा।

34. नीति के अनुसार, परीक्षा के दौरान केवल प्रत्याशियों के अलावा किसी और को परीक्षा /प्रश्न पत्रों का खुलासा नहीं किया जाता है। परीक्षा के बाद भी परीक्षा पत्र किसी के साथ साझा नहीं किए जाते हैं। कृपया ध्यान दें कि एक प्रत्याशी को किसी पद के लिए ऑनलाइन परीक्षा में केवल एक बार उपस्थित होने की अनुमति है। ऑनलाइन परीक्षा में कई बार उपस्थित होने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि एक से अधिक कॉल लेटर तैयार किए गए हैं, तो प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित कॉल लेटर पर उल्लिखित तिथि और समय पर केवल एक पद के लिए उपस्थित हों

नोट: उपरोक्त विज्ञापन के संदर्भ में यदि कोई शुद्धिपत्र और आगे की घोषणाएं जारी की जाएंगी तो उन्हें केवल बैंक की वेबसाइट www.sidbi.in पर प्रकाशित किया जाएगा ।

(संदीप वर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक
मानव संसाधन विकास उद्भाग

स्थान:- मुंबई
दिनांक: - 21 नवंबर**, 2026**

*****

परिशिष्ट I

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 2 (एस) के तहत परिभाषित विकलांग व्यक्तियों के लिए स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक और/या प्रतिपूरक समय की सिफारिश के लिए प्रमाण पत्र और दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट लिखित रूप में सीमा है।

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/सुश्री/श्रीमती **.....** (प्रत्याशी का नाम), पुत्र, पुत्री **..... .....** (ग्राम/पीओ/पीएस/जिला/राज्य), ... आयु का निवासी वर्षो, ... **(**विकलांगता / स्थिति की प्रकृति) के साथ एक व्यक्ति और यह बताने के लिए कि उसके पास एक सीमा है जो उसकी / उसकी उपरोक्त विकलांगता / स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता में बाधा डालती है। उसे / वह परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब / रीडर / लैब सहायक / और या प्रतिपूरक समय के समर्थन की आवश्यकता होती है, जैसा कि दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है।

2. उपरोक्त प्रत्याशी सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (निर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) / अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है) का उपयोग करता है जो प्रत्याशी के लिए आवश्यक है /

3. यह प्रमाण पत्र केवल जांच निकायों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और तक वैध है**.....** (यह अधिकतम एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है)।

चिकित्सा प्राधिकरण के हस्ताक्षर

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम मुहर के साथ
स्थान :
तिथि :

***नोट**: प्रमाणन के लिए चिकित्सा प्राधिकरण, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, **अंधापन, लोकोमोटर विकलांगता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणी में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए**, एक बहु-सदस्यीय प्राधिकरण होना चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:*

1. *मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी..... सभापति*
2. *आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ ..... सदस्य*
3. *प्रत्याशी की स्थिति के आधार पर कोई अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष ..... सदस्य द्वारा नामित किया जा सकता है*

परिशिष्ट-II

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 2 (एस) के तहत परिभाषित विकलांग व्यक्ति द्वारा वचन पत्र दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट विभिन्न अधिकारियों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं के दौरान स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक की सेवाओं का उपयोग करते हुए।

1. मुझे _____, जिला _____, _____ (राज्य का नाम) **मैं _____ (केंद्र का नाम) _____वाले _____ (परीक्षा का नाम) वाले _____ (विकलांगता की प्रकृति/स्थिति) वाले (विकलांगता की प्रकृति/स्थिति) वाले प्रत्याशी** हैं । मेरी शैक्षिक योग्यता _____ है।

2. मैं एतद्द्वारा यह व्यक्त करता हूं कि _____ (लेखक का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक की सेवा प्रदान करेगा। मैं आगे घोषणा करता हूं कि किसी भी प्रकार के हितों का टकराव नहीं है जो परीक्षा की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है।

3. मैं एतद्द्वारा वचन देता हूं कि उसकी योग्यता _____ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित नहीं है और मौजूदा दिशानिर्देशों में उल्लिखित परीक्षा के लिए निर्दिष्ट योग्यता से परे है, तो मैं उस पद/पद/शैक्षणिक सीट पर अपना अधिकार खो दूंगा, जिसके लिए मैं प्रतिस्पर्धा कर रहा हूं और उससे संबंधित दावे।

(प्रत्याशी के हस्ताक्षर)

(माता-पिता/अभिभावक द्वारा जवाबी हस्ताक्षर, यदि प्रत्याशी नाबालिग है)

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट-III

परीक्षा केंद्र – ऑनलाइन परीक्षा (अस्थायी सूची)

चरण I और II परीक्षा: चरण- I (जिसमें पेपर- I) और चरण II (पेपर II और III शामिल हैं) के लिए ऑनलाइन परीक्षा निम्नलिखित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी:

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	शहर	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	शहर
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा/गुंटूर, विशाखापत्तनम, करनूल, राज**मंडरी**, काकीनाडा, विजयनगरम	**मध्य प्रदेश**	भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर
अरुणाचल प्रदेश	नाहरलगुन	**महाराष्ट्र**	छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद), अमरावती, कोल्हापुर, नांदेड़, मुंबई/नवी मुंबई/ठाणे/एमएमआर, नागपुर, नासिक, पुणे, जलगांव
असम	गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, सिलचर	**मणिपुर**	इंफाल
बिहार	दरभंगा, पटना, मुज्जफरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर	**मेघालय**	शिलांग
चंडीगढ़	चंडीगढ़ – मोहाली	**मिजोरम**	आइजोल
छत्तीसगढ़	रायपुर, भिलाई, बिलासपुर (सीजी)	**नागालैंड**	कोहिमा
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	सूरत	**ओडिशा**	भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, ढेंकानाल, बेरहामपुर-गंजाम, संबलपुर
		पुडुचेरी	पुडुचेरी
दिल्ली	दिल्ली एनसीआर	**पंजाब**	अमृतसर, जालंधर, भटिंडा, पटियाला, मोहाली, फगवाड़ा
गोवा	मापुसा	**राजस्थान**	जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, सीकर
गुजरात	अहमदाबाद/गांधीनगर, राजकोट, सूरत/बारडोली, वडोदरा/आनंद	**सिक्किम**	गंगटोक
हरियाणा	फरीदाबाद, गुरुग्राम, अंबाला, कुरुक्षेत्र	**तमिलनाडु**	चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, **सेलम**, तिरुनेलवेली, नागरकोइल/कन्याकुमारी, विरुधुनगर, वेल्लोर, कट्टालूर
हिमाचल प्रदेश	शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी	**तेलंगाना**	हैदराबाद, वारंगल, करीमनगर, खम्मम
जम्मू और कश्मीर	जम्मू, सांबा, श्रीनगर	**त्रिपुरा**	अगरतला
झारखंड	धनबाद, रांची, जमशेदपुर, बोकारो स्टील सिटी	**उत्तराखंड**	देहरादून, हल्द्वानी, रूड़की
कर्नाटक	बेंगलुरु, बेलगावी, मैसूर, हुबली/धारवाड़, गुलबर्गा, उडुपी,	**उत्तर प्रदेश**	आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद,

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	शहर	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	शहर
	शिमोगा		नोएडा/ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, झांसी, बरेली, मुजफ्फरनगर
केरल	तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड, त्रिशूर, अलप्पुझा, कोल्लम, कोट्टायम और कन्नूर	**पश्चिम बंगाल**	कोलकाता, आसनसोल, कल्याणी, हुगली, दुर्गापुर, बर्दवान
लद्दाख	लेह		

परिशिष्ट IV

अनुभव प्रमाणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित करने के लिए है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... की सेवाओं में शामिल हुए (संगठन का नाम)..... ..... पर (तिथि)..... के रूप में....., (पदनाम/पद) (स्थायी/संविदा)। वर्तमान में वह हमारे ..... में काम कर रहे / रही हैं विभाग। कार्यालय/शाखा के रूप में..... **हमारे बैंक/संगठन के साथ** स्थायी/पूर्णकालिक प्रत्यक्ष संविदा/तीसरे पक्ष के पे-रोल कर्मचारी के रूप में कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा आयोजित विभिन्न पदों का विवरण निम्नानुसार है: -

क्रम संख्या	उपाधि	(विभाग कार्यालय / शाखा) में तैनात	दिनांक से	दिनांक तक	अनुभव का विवरण	अनुभव (महीनों में)

दिनांक: -
स्थान:-

नाम: -
पदनाम एवं विभाग
मुहर:-

नोट: - उपर्युक्त प्ररूप में प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा ..... (कंपनी/संगठन)..... के लेटरहेड पर जारी किया जाना चाहिए। और उक्त कंपनी/संगठन से नियुक्ति पत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए।